يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء 59)

चारों इमाम की तक़लीद और मक़ामे अबू हनीफा (रह)

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Maulana Mohammad Najeeb Qasmi

www.najeebqasmi.com

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (سورة النساء 59)

चारों इमाम की तक़लीद

और मक़ामे अबू हनीफा (रह)

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

www.najeebqasmi.com

चारों इमाम की तक़लीद और मक़ामे अबू हनीफा (रह)
Following (Taqleed) the four Imams & Status of Imam Abu Hanifah

By

डाक्टर मौलाना मोहम्मद नजीब क़ासमी

Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

पहला हिंदी संस्करण: मार्च 2016

Address for Gratis Distribution मुफ़्त मिलने का पताः
Dr. Mohammad Mujeeb, Deepa Sarai, Sambhal, UP (2044302) India
डा॰ मोहम्मद मुजीब, दीपा सराय, सभंल, यूपी, इण्डिया (244302)

विषय-सूची

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْم
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلاۃ وَالسَّلَامُ عَلَی النَّبِیِّ الْكَرِيم وَعَلیٰ آله وَاَصْحَابه اَجْمَعِيْن۔

प्रस्तावना

हुज़ूरे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ आखरी नबी हैं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत अंतरराष्ट्रीय भी है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़बिला कुरैश या अरबों के लिए नहीं बल्कि पुरी दुनिया के लिए, इसी तरह सिर्फ उस ज़माना के लिए नहीं जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए बल्कि क़ियामत तक आने वाले तमाम इंसान व जिन्नात के लिए नबी व रसूल बना कर भेजे गए। कुरान व हदीस की रौशनी में उम्मते मुस्लिमा खास कर उलमा-ए-दीन की ज़िम्मेदारी है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद दीने इस्लाम की हिफाज़त करके कुरान व हदीस के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएं। चूनांचे उलमा-ए-कराम ने अपने अपने ज़माने में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस ज़िम्मेदारी को अंजाम दिया। उलमा-ए-कराम की कुरान व हदीस की खिदमात को भुलाया नहीं जा सकता है और इंशा अल्लाह उलमा-ए-कराम की इल्मी खिदमात से कल क़ियामत तक इस्तिफादा किया जाता रहेगा। अब नई टेक्नोलॉजी (वेबसाइट, वाटस ऐप, मोबाइल ऐप, फेसबुक और यूट्यब वगैरह) को दीने इस्लाम की खिदमात के लिए उलमा-ए-कराम ने इस्तेमाल करना शुरू तो कर दिया है मगर इसमें मज़ीद काम करने की सख्त ज़रूरत है।

अलहमदु लिल्लाह बाज़ दोस्तों की टेक्निकल समर्थन और बाज़ मुहसिनीन के माली योगदान से हमने भी दीने इस्लाम की खिदमात के लिए नई टेक्नोलॉजी के मैदान में घोड़े दौड़ा दिए हैं ताकि इस

अंतरिक्ष (जगह) को एसी ताक़तें प्राप्त न कर दें जो इस्लाम और मुस्लमानों के लिए नुक़सानदेह साबित हों। चूनांचे 2013 में वेबसाइट (www.najeebqasmi.com) लांच की गई, 2015 में तीन ज़बानों में दुनिया की पहली मोबाइल ऐप (**Deen-e-Islam**) और फिर दोस्तों के तक़ाजा पर हाजियों के लिए तीन ज़बानों में खुसूसी ऐप (**Hajj-e-Mabroor**) लांच की गई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बहुत से उलमा ने दोनों ऐपस के लिए प्रशंसापत्र लिख कर अवाम व ख्वास से दोनों ऐपस से इस्तिफादा करने की दरखास्त की। यह प्रशंसापत्र दोनों ऐपस का हिस्सा हैं। ज़माने की रफ्तार से चलते हुए क़ुरान व हदीस की रौशनी में मुख्तसर दीनी पैगाम खुबसूरत इमेज की शकल में मुख्तलिफ सूत्रों से हज़ारों दोस्तों को पहुंच रहे हैं जो अवाम व ख्वास में काफी मक़बूलियत हासिल किए हुए हैं।

इन दोनों ऐपस (दीने इस्लाम और हज्जे मब्रूर) को तीन ज़बानों में लांच करने के लिये मेरे तक़रीबन 200 मज़ामीन का अंग्रेज़ी और हिन्दी में तर्जुमा करवाया गया। तर्जुमा के साथ ज़बान के माहिरीन से एडिटिंग भी कराई गई। हिन्दी के तर्जुमा में इस बात का ख्याल रखा गया कि तर्जुमा आसान ज़बान में हो ताकि हर आम व खास के लिए इस्तिफादा करना आसान हो।

अल्लाह के फज़ल व करम और उसकी तौफीक़ से अब तमाम मज़ामीन के अंग्रेज़ी और हिन्दी अनुवाद को विषय के एतेबार से किताबी शकल में तरतीब दे दिया गया है ताकि इस्तिफादा आम किया जा सके, जिसके ज़रिया 14 किताबें अंग्रेज़ी में और 14 किताबें हिन्दी में तय्यार हो गई हैं। उर्दू में प्रकाशित 7 किताबों के अलावा 10 नई किताबें छपने के लिए तय्यार कर दी गई हैं।

यह किताब (चारों इमाम की तक़लीद और मक़ामे अबू हनीफा रह) दादा मोहतरम शैखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इस्माइल संभली की तक़लीद की अहमियत व ज़रूरत पर एक अज़ीम किताब (तक़लीदे अईम्मा) से इस्तिफादा करके वक़्त की ज़रूरत के पेशे नज़र लिखी गई है। हज़रत इमाम अबु हनीफा की शख्सीयत पर लिखा गया तफसीली मज़मून भी किताब में शामिल है।

अल्लाह तआला से दुआ करता हूं कि इन सारी खिदमात को क़ुबूलियत व मक़बूलियत से नवाज़ कर मुझे, ऐपस की तायीद में लेटर लिखने वाले उलमा-ए-कराम, टेक्निकल सपोर्ट करने वाले अहबाब, माली योगदान पेश करने वाले मुहसिनीन, मुतर्जिमीन, एडिटिंग करने वाले हज़रात खास कर जनाब अदनान महमूद उसमानी साहब, डिज़ाइनर और किसी भी क़िसम से तआवुन पेश करने वाले हज़रात को दोनों जहां की कामयाबी व कामरानी अता फरमाये। आखिर में दारूल उलूम देवबन्द के मुहतमिम हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल क़ासिम नुमानी साहब, मौलाना मोहम्मद असरारूल हक़ क़ासमी साहब (मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट) और प्रोफेसर अखतरूल वासे साहब (लेसानियात के कमिशनर, मंत्रालय अक़लियती बहबूद) का शुक्र गुज़ार हूं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद प्रस्तावना लिखा। डॉक्टर शफाअतुल्लाह खान साहब का भी मशकूर हूं जिनकी मेहनतों से यह प्रोजेक्ट मुकम्मल हूआ।

मोहम्मद नजीब क़ासमी संभली (रियाज़)

14 मार्च, 2016 ई॰

(Mufti) Abul Qasim Nomani
Muhtamim (VC) Darul Uloom Deoband

مفتی ابو القاسم نعمانی
مہتمم دارالعلوم دیوبند، الہند

PIN- 247554 (U.P.) INDIA Tel: 01336-222429, Fax: 01336-222768 E-mail: info@darululoom-deoband.com

Ref. No.........   Date:..... ....

باسمہ سبحانہ وتعالیٰ

جناب مولانا محمد نجیب قاسمی سنبھلی مقیم ریاض (سعودی عرب) نے دینی معلومات اور شرعی احکام کو زیادہ سے زیادہ اہل ایمان تک پہونچانے کے لئے جدید وسائل کا استعمال شروع کر کے، دینی کام کرنے والوں کے لیے ایک اچھی مثال قائم فرمائی ہے۔

چنانچہ سعودی عرب سے شائع ہونے والے اردو اخبار (اردو نیوز) کے دینی کالم (روشنی) میں مختلف عنوانات پر ان کے مضامین مسلسل شائع ہوتے رہتے ہیں۔ اور موبائل ایپ اور ویب سائٹ کے ذریعہ بھی وہ اپنا دینی پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہونچا رہے ہیں۔

ایک اچھا کام یہ ہوا ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے تحت مولانا نے اپنے اہم اور منتخب مضامین کے ہندی اور انگریزی میں ترجمے کرادیئے ہیں، جو الیکٹرونک بک کی شکل میں جلد ہی لانچ ہونے والے ہیں۔

اور امید ہے کہ مستقبل میں یہ پرنٹ بک کی شکل میں بھی دستیاب ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ مولانا قاسمی کے علوم میں برکت عطا فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ مزید علمی افادات کی توفیق بخشے۔

ابوالقاسم نعمانی غفرلہ
مہتمم دارالعلوم دیوبند
۳/۶/۱۴۳۷ھ

تاثرات

عصر حاضر میں دینی تعلیمات کو جدید آلات و وسائل کے ذریعہ عوام الناس تک پہنچانا وقت کا اہم تقاضہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بعض دینی، معاشرتی اور اصلاحی فکر رکھنے والے حضرات نے اس سمت میں کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس کے سبب آج انٹرنیٹ پر دین کے تعلق سے کافی مواد موجود ہے۔ اگرچہ اس میدان میں زیادہ تر مغربی ممالک کے مسلمان سرگرم ہیں لیکن اب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشرقی ممالک کے علماء و داعیان اسلام بھی اس طرف متوجہ ہو رہے ہیں جن میں عزیزم ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی صاحب کا نام سرفہرست ہے۔ وہ انٹرنیٹ پر بہت سا دینی مواد ڈال چکے ہیں، باضابطہ طور پر ایک اسلامی و اصلاحی ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں۔

ڈاکٹر محمد نجیب قاسمی کا قلم رواں دواں ہے۔ وہ اب تک مختلف اہم موضوعات پر سینکڑوں مضامین اور کئی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ ان کے مضامین پوری دنیا میں بڑی دلچسپی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ وہ جدید ٹکنالوجی سے بخوبی واقف ہونے کی وجہ سے اپنے مضامین اور کتابوں کو بہت جلد دنیا بھر میں ایسے ایسے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں جن تک رسائی آسان کام نہیں ہے۔ موصوف کی شخصیت علوم دینی کے ساتھ علوم عصری سے بھی آراستہ ہے۔ وہ ایک طرف عالم دین ہیں، تو دوسری طرف ڈاکٹر و محقق بھی اور کئی زبانوں میں مہارت بھی رکھتے ہیں اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ فعّال و متحرک نوجوان ہیں۔ جس طرح وہ اردو، ہندی، انگریزی اور عربی میں دینی و اصلاحی مضامین اور کتابیں لکھ کر عوام کے سامنے لا رہے ہیں، وہ اس کے لئے تحسین اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ان کی شب و روز کی مصروفیات و جد و جہد کو دیکھتے ہوئے ان سے یہ امید کی جاسکتی ہے کہ وہ مستقبل میں بھی اسی مستعدی کے ساتھ مذکورہ تمام کاموں کو جاری رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں کہ باری تعالیٰ ان سے مزید دینی، اصلاحی اور علمی کام لے اور وہ اکابرین کے نقش قدم پر گامزن رہیں۔ آمین!

مخلص

(مولانا) محمد اسرار الحق قاسمی
ایم. پی. لوک-سبھا (انڈیا)
و صدر آل انڈیا تعلیمی و ملی فاؤنڈیشن، نئی دہلی
Email:asrarulhaqqasmi@gmail.com

प्रो. अख़्तरूल वासे
आयुक्त
PROF. AKHTARUL WASEY
Commissioner

भाषाजात अल्पसंख्यकों के आयुक्त
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
Commissioner for Linguistic Minorities in India
Ministry of Minority Affairs
Government of India

تقریظ

اطلاعاتی انقلاب برپا ہونے کے بعد جس طرح ہر قسم کی معلومات انٹرنیٹ کے ذریعہ آنکھوں کی دو پتلیوں میں سما گئی ہیں۔ اس نے ''گاگر میں ساگر'' اور ''کوزے میں دریا'' کے تخیلاتی تصورات کو نہ صرف حقیقت بنا دیا ہے بلکہ ان پر ہمارا انحصار روز بروز ناگزیر ہوتا جا رہا ہے۔ گوگل (Google) ہو یا وکی پیڈیا (Wikipaedia) یا پھر دوسری سوشل سائٹس انہوں نے ترسیل و ابلاغ کو وہ ہمہ جہت رخ اور رفتار کی تیزی عطا کی ہے کہ فراق و فصل کے تمام تصورات بے معنی ہو کر رہ گئے ہیں۔ لیکن اس اطلاعاتی انقلاب نے ایک پیچیدہ مسئلہ یہ پیدا کر دیا ہے کہ اطلاعات رسانی اور خبروں تک رسائی میں حقائق سے گریز یا ان کو مسخ کرنے کا چلن بھی اس طرح شامل ہو گیا ہے اور اس سچائی کو اسلام اور مسلمانوں سے بہتر کون جانتا ہے۔ دوسرا سنگین مسئلہ یہ ہے کہ باخبر ہونے اور معلومات حاصل کرنے کے لئے اب مطالعہ کی عادت لوگوں میں خاصی کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیونکہ موبائیل کے روپ میں دنیا ان کی مٹھی میں سمائی رہتی ہے اور وہ سب کچھ اسی کے ذریعہ جاننا چاہتے ہیں۔ اس چیلنج اور مسئلے کے حل کے لئے ضروری ہے کہ ہم غلط بیانیوں اور حقائق کو دنیا پر آشکار کرنے کے لئے اور اپنے ہم مذہبوں خاص طور پر نئی نسل کو صحیح معلومات فراہم کرنے، انہیں رہنمائی دینے اور ان کے شعور میں بالیدگی اور پختگی لانے کے لئے اس اطلاعاتی انقلاب کے جتنے بھی وسائل و ذرائع ہیں ان کا بھرپور استعمال کریں۔

مجھے خوشی ہے کہ ہمارے ایک موقر اور معتبر عالم حضرت دین مولانا محمد نجیب قاسمی نے جو از ہر ہند دارالعلوم دیوبند کے قابل فخر ابنائے قدیم میں سے ہیں اور عرصے سے مملکت سعودی عرب کی راجدھانی ریاض میں برسرکار ہیں، انہوں نے اس ضرورت کو بخوبی سمجھا اور دنیا کی پہلی اسلامی موبائیل ایپ ''دین اسلام'' اور ''حج مبرور'' اردو، انگریزی اور ہندی میں تیار کیا تھا اور اب وقت گزرنے کے ساتھ نئے سوالات کی روشنی اور علمی ضرورتوں کے تحت نئے مضامین اور نئے بیانات شامل کر کے ایک دفعہ پھر نئے انداز کے ساتھ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ مزید برآں زندگی کے مختلف پہلوؤں پر دین کے حوالہ سے دو سو مضامین کے الیکٹرونک ایڈیشن کو بھی منظر عام پر لایا جا رہا ہے۔ مجھے وقتاً فوقتاً محترم مولانا محمد نجیب قاسمی صاحب کے مقالے، الیکٹرانک مضامین اور علمی فتوحات سے استفادہ کرنے کا موقعہ ملتا رہا ہے۔ مجھے ان کے متوازن، اعتدال پسند اور عالمانہ انداز تحریر نے ہمیشہ متاثر کیا۔ میں مولانا نجیب قاسمی کی خدمت میں ہدیۂ تبریک و تشکر پیش کرتا ہوں اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ان کی عمر میں درازی، علم میں اضافہ اور قلم میں مزید پختگی عطا فرمائے۔ کیونکہ:

ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں
ابھی عشق کے امتحاں اور بھی ہیں

(پروفیسر اختر الواسع)
سابق ڈائریکٹر: ذاکر حسین انسٹی ٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز
سابق صدر: شعبہ اسلامک اسٹڈیز جامعہ ملیہ اسلامیہ، نئی دہلی
سابق وائس چیرمین: اردو اکادمی، دہلی

14/11, जाम नगर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली–110011
14/11, Jam Nagar House, Shahjahan Road, New Delhi-110011
Tel: (O) 011-23072651-52 Email: wasey27@gmail.com Website: www.nclm.nic.in

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن،وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيم وَعَلىٰ آلہ وَاَصْحَابہ اَجْمَعِيْن۔

चारों अइम्मा की तक़लीद क़ुरान व हदीस की इत्तिबा ही है

दादा मोहत्तरम शैखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद इमाईल संभली (1899-1975) की तक़लीद की अहमियत व ज़रूरत पर एक जामे व अज़ीम किताब (तक़लीदे अइम्मा) से इस्तिफादा करके वक़्त की ज़रूरत के पेशे नज़र यह मज़मून लिख रहा हूं, हालांकि इस मौज़ू पर क़ुरान व हदीस की रौशनी में बहुत कुछ लिखा जा चुका है।

असरे हाज़िर में गैर मुक़ल्लिदीन हज़रात इजमा-ए-उम्मत के बरखिलाफ तक़लीद के मौज़ू पर आम लोगों में जो शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं, इससे उम्मते मुस्लिमा के दरमियान इख्तिलाफात में इज़ाफा ही हो रहा है। अल्लाह तआला से दुआगो हूं कि हमें फुरूई मसाइल के इख्तिलाफात में अपनी सलाहियतें न लगा कर उम्मते मुस्लिमा की इसलाह और आपस में इत्तिहाद व इत्तिफाक करने में लगाने वाला बनाए, क्योंकि इस वक्त इसलाम मुखालिफ ताक़तें चारों तरफ से इसलाम और मुसलमानों पर हमला आवर हैं। हमें एक साथ हो कर दुनियावी माद्दी ताक़तों से मुक़ाबला करने की ज़रूरत है।

जहां तक अहकाम व मसाइल में इख्तिलाफ का तअल्लुक़ है तो इब्तिदा-ए-इसलाम से ही इस क़िस्म का इख्तिलाफ मौजूद है। गज़वा-ए-अहज़ाब से वापसी पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा-ए-कराम की एक जमाअत को फौरन बनू क़ुरैज़ा रवाना फरमाया और कहा कि असर की नमाज़ वहां जा कर पढ़ो। रास्ता में जब नमाज़े असर का वक्त खत्म होने लगा तो सहाबा-ए-कराम में

असर की नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ इख्तिलाफ हो गया। एक जमाअत ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक़ हमें बनू कुरैज़ा ही में जा कर नमाज़े असर पढ़नी चाहिए चाहे असर की नमाज़ क़ज़ा हो जाए, जबकि दूसरी जमाअत ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने का मंशा यह था कि हम असर की नमाज़ के वक्त में बनू कुरैज़ा पहुंच जाएगें, लेकिन अब चूंकि असर के वक्त में बनू कुरैज़ा की बस्ती में पहुंच कर नमाज़े असर पढ़ना मुमकिन नहीं है लिहाज़ा हमें असर की नमाज़ अभी पढ़ लेनी चाहिए। इस तरह सहाबा-ए-कराम दो जमाअत में बट गए, कुछ हज़रात ने नमाज़े असर वहीं पढ़ी जबकि दूसरी जमाअत ने बनू कुरैज़ा की बस्ती में जा कर क़ज़ा पढ़ी। जब सुबह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनू कुरैज़ा पहुंचे और इस वाक्या से मुतअल्लिक तफसीलात मालूम हुईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जमाअत पर भी कोई तन्क़ीद नहीं की और न ही इस अहम मौक़े पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई हिदायत जारी की। (बुखारी व मुस्लिम) जिससे मालूम हुआ कि इख्तिलाफ तो कल क़यामत तक जारी रहेगा और इस क़िस्म का इख्तिलाफ बुरा नहीं है।

गर्ज़ेकि इसलाम में इख्तिलाफ की गुंजाइश तो है मगर दुशमनी और लड़ाई झगड़ा करने से मना फरमाया गया है, जैसा कि अल्लाह तआला ने अपने पाक कलाम में फरमाया आपस में झगड़ा न करो वरना बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। (सूरह अंफाल 46) आज दुनियावी ताक़तें इसलाम और मुसलमानों को ज़लील व रुसवा करने के लिए हर मुमकिन हरबा इस्तेमाल कर रही

है, जिससे हर ज़ी शऊर वाकिफ है। लिहाज़ा हम सबकी ज़िम्मेदारी है कि अपने इख्तिलाफ को सिर्फ इजहारे हक़ या तलाशे हक़ तक महदूद रखें। अपना मौकिफ ज़रूर पेश करें लेकिन दूसरे की राय की सिर्फ इस बुनियाद पर मुखालफत न करें कि उसका तअल्लुक़ दूसरे मक्तबे फिक्र से है। हमें उम्मते मुस्लिमा के शीराज़ा को बिखेरने के बजाये उसमें पैवन्दकारी करनी चाहिए। अहले सुन्नत का 95 फीसद से ज़्यादा तबका एक हज़ार साल से ज़्यादा अरसा से चारों अइम्मा (इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुतल्लाह अलैहिम) की तक़लीद के मसअला पर मुत्तफिक़ चला आ रहा है और चारों अइम्मा की तक़लीद क़ुरान व हदीस की इत्तिबा ही है। जिस तरह आज हम 1400 साल गुज़रने के बाद भी क़ुरान व हदीस को ही शरीअते इस्लामिया के दो अहम माखज़ मानते हैं, इसी तरह उन अइम्मा ने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही अहकाम व मसाइल बयान फरमाए हैं। क़ुरान व हदीस के पैग़ाम को ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने में उन अइम्मा ने अपनी जान व माल व वक्त की अज़ीम कुरबानियां दीं। वह अहकाम व मसाइल जिनके अमल करने में कोई फर्क भी नहीं है यानी 1400 साल पहले और आज भी अमल का एक ही तरीका है और दलाइले शरइया भी वही हैं, नीज़ कोई नया मसअला भी नहींहै कि असरे हाज़िर के फुकहा व उलमा को इस पर इजतिहाद व इस्तिंबात करना पड़े, मसलन नमाज़ की अदाएगी का तरीक़ा। इस तरह के मसाइल में मज़ीद इजतिहाद और बहस व मुबाहसा की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में ताबेईन व तबे ताबेईन अइम्मा ने जो बात सही समझी है इसी पर किनाअत कर

लिया जाए, क्योंकि इन हज़रात ने सहाबा और ताबेईन की सोहबत में रह कर क़ुरान व हदीस का इल्म हासिल किया था। अगर कोई शख्स क़ुरान व हदीस की रौशनी पर मबनी उनकी राय पर अमल नहीं करना चाहता तो असरे हाज़िर के किसी आलिमे दीन की राय पर अमल करके उनकी तक़लीद करले, लेकिन चारों अइम्मा खास कर 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर फक़ीह व ताबेई हजरत इमाम अबू हनीफा की क़ुरान व हदीस पर मबनी राय को क़ुरान व हदीस के खिलाफ और इक्कीसवीं सदी में पैदा हुए आलिमे दीन की राय को क़ुरान व हदीस के ऐन मुताबिक़ क़रार देना उम्मते मुस्लिमा के दरमियान एक फितना बरपा करना नहीं तो फिर क्या है? गैर मुक़ल्लेदीन इख्तिलाफी मसाइल को इस तरह लोगों के सामने बयान करते हैं कि आज के दौर का आलिमे दीन तो ग़लती कर ही नहीं सकता, लेकिन बाज़ हज़रात उनकी तरफ मंसूब अकवाल और उलमा-ए-अहनाफ के क़ुरान व हदीस की रौशनी में अकवाल को लोगों के सामने इस तरह पेश करते हैं कि इक्कीसवीं सदी के आलिम नेजो समझा है सिर्फ वहीं सही है और हज़रत इमाम अबू हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ ने जो समझा है वह सब ग़लत है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु का इल्मी वरसा हज़रत इमाम अबू हनीफा के मशहूर उस्ताज़ शैख हम्माद और मशहूर ताबेईन शैख नखई व शैख अलक़मा के ज़रिया हज़रत इमाम अबू हनीफा तक पहुंचा है। शैख हम्माद सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु के भी सबसे क़रीब और मोतमद शागिर्द हैं। शैख हम्माद की सुहबत में इमाम अबू हनीफा 18 साल रहे और शैख हम्माद के इंतिक़ाल के बाद कूफा में उनकी मसनद पर हज़रत

इमाम अबू हनीफा को ही बैठाया गया।
इन दिनों गैर मुक़ल्लेदीन हज़रात इमाम अबू हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ की क़ुरान व हदीस पर मबनी राय को इस तरह लोगों के सामने पेश करते हैं कि इमाम अबू हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ यह कह रहे हैं जबकि क़ुरान व हदीस का फैसला यह है, हालांकि इमाम अबू हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ के दलाएल तौरेत या ज़बूर या इंजील या रामायण या गीता से नहीं लिए गए हैं बल्कि उन्होंने भी क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही अहकाम व मसाइल बयान फरमाए हैं और वह अपने ज़माने में इल्म व अमल के दरखशा सितारा थे। मसलन हज़रत इमाम अबू हनीफा और उलमा-ए-अहनाफ ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में कहा कि इस्तेमाली ज़ेवरात पर भी निसाब पहुंचने पर ज़कात वाजिब है। यह कौल क़ुरान व हदीस के दलाएल से मदलूल होने के साथ साथ इहतियात पर भी मबनी है मगर बाज़ हज़रात अपने उलमा की तकलीद में इस कौल को भी क़ुरान व हदीस के खिलाफ कहने में अल्लाह से नहीं डरते, हालांकि सउदी अरब के साबिक़ मुफ्ती आज़म शैख बिन बाज़ की भी यही राय है कि इस्तेमाली जेवर पर ज़कात वाजिब है। यह हज़रात शैख इबने बाज़ की राय को सिर्फ यह कह कर छोड़ देते हैं कि यह उनकी रायहै लेकिन इसी मसअला में इमाम अबूहनीफा और उलमा-ए-अहनाफ की राय को क़ुरान व हदीस के खिलाफ करार देते हैं। इसी तरह चेहरे के पर्दे के मुतअल्लिक अपने मुरशिद शैख नासिरूद्दीन की राय पर तबसरा करने के लिए भी तैयार नहीं हैं लेकिन वित्र की तीनरिकात के बज़ाए एक रिकात वित्र को लोगों के सामने इस तरह पेश करते हैं कि गोया नमाज़े वित्र की तीन रिकात सही नहीं है हालांकि बुखारी व

मुस्लिम की जिस हदीस को 8 रिकात तरावी के लिए यह हज़रात दलील के तौर पर पेश करते हैं उस में वज़ाहत के साथ वित्र की तीन रिकात का जिक्र मौजूद है। गर्जकि यह हज़रात ज़ाहिरी तौर पर तो तक़लीद की मुखालफत करते हैं लेकिन उनके उलमा ने जो कुछ कहा या लिखा है उससे ज़र्रा बराबर भी हटने के लिए तैयार नहींहै, चाहे उनके उलमा का कौल दलाएले शरीइया के एतेबार से कमज़ोर ही क्यों न हो, यह तक़लीद नहीं तो और क्या है। बात सिर्फ इसीपर खत्म नहीं होती बल्कि यह हज़रात उन अइम्मा की शान में उमूमन और हज़रत इमाम अबू हनीफा की शान में खुसूसन तौहीन आमेज़ अल्फाज़ इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि उनमें से बाज़ मुतशद्देदीन इतना तक कह जाते हैं कि हज़रत इमाम अबू हनीफा उलूमे क़ुरान व सुन्नत से कम वाकिफ थे। यानी नेपाल के एक गांव में अहले हदीस के मदरसा में हदीस की अदना किताब पढ़ाने वाला तो मुहद्दिस कबीर व फक़ीह बन गया और इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम, इमाम तिरमीज़ी, इमाम नसई, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन रहमतुल्लाह अलैहिम के असातिज़ा का उस्ताज़, सहाबा और बड़े बड़े ताबेईन से सुहबत याफ्ता और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाहु अन्हु की कूफा की मसनद पर बैठने वाला शख्स उलूमे क़ुरान व हदीस से नावाक़िफ। यह सिर्फ और सिर्फ हज़रत इमाम अबू हनीफा की मक़बूलियत से दुश्मनी व झगड़ा नहीं तो और किया है।

तक़लीद की तारीफ

अगर किसी शख्स ने फक़ीह आलिमे दीन से कोई मसअला पूछा।

फक़ीह आलिमे दीन ने क़ुरान व हदीस के दलाएल जिक्र किए बेगैर क़ुरान व हदीस की रौशनी में उसका जवाब दे दिया और उस शख्स ने आलिमे दीन की बात पर अमल कर लिया जैसा कि 99 फीसद उम्मते मुस्लिमा का तबक़ा अरसा दराज़ से करता चला आ रहा है तो इसी का नाम तक़लीद है। यानी सवाल करने वाले को पूरा यक़ीन है कि फक़ीह आलिमे दीन ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही मसअला का जवाब दिया है और वाक्या भी यही है कि उस आलिमे दीन ने क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही जवाब दिया है, मगर सवाल के जवाब के वक्त उसने किसी दलील का मुतालबा नहीं किया, अगर बाद में सवाल करने वाले को मुजतहिद की दलील का इल्म हो जाए या अपने ज़ाती मुताला से इस मसअला के मुतअल्लिक क़ुरान व हदीस के बहुत से दलाएल दरयाफ्त हो गए तो यह हुकुम तक़लीद के मुनाफी नहीं है।

तक़लीद मुतलक जिसकी तारीफ ऊपर बयान की जा चुकी है उसकी दो किसमें हैं।

1) तक़लीद शख्सी - एक खास मुजतहिद की तरफ जो मज़हब और मसलक मंसूब हो उसके जुमला मसाइल मुफ्ताबिहा को दलील तलब किए बेगैर क़बूल कर लेना और उसको अपने अमल के लिए काफी समझना। यह मसाइल मुफ्ताबिहा इस इमाम मुजतहिद के भी हो सकते हैं, उसके शागिर्दों के भी और उन उलमा के भी हो सकतेहैं जो इस इमाम मुजतहिद के मुकल्लिद हों, बहरहाल उन सब का मजमूआ एक मज़हब मुअैयन कहलाता है, मसलन फिक़हा हनफी व मालकी वगैरह।

2) तक़लीद गैर शख्सी - मुख्तलिफ मज़ाहिब के बहुत से मुजतहेदीन

के मसाइल को उनकी दलील तलब किए बेगैर अपना मामूलबिहा ठहराना यानी कोई मसअला किसी मुजतहिद के मज़हब का लेकर अमल कर लेना और एक मुअऐयन मुजतहिद के मज़हब के तमाम मसाइल मुफ्ताबिहा का पाबन्द न होना।

गर्जकि तक़लीद की हक़ीक़त इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक शख्स बराहे रास्त क़ुरान व हदीस से अहकाम मुस्तंबत करने की सलाहियत नहीं रखता है जैसा कि 99 फीसद से ज़्यादा उम्मते मुस्लिमा का हाल है। वह जिसे क़ुरान व हदीस के उलूम का माहिर समझता है उसके फहम व बसीरत और इल्म पर एतेमाद करके उसकी तशरीहात के मुताबिक़ अमल करता है और यह वह चीज़ है जिसका जवाज़ बल्कि वजूब क़ुरान व सुन्नत के बहुत से दलाएल से साबित है, यहां सिर्फ दो आयाते क़ुरानिया और एक हदीसे नबवी से इसका सबूत पेश करने पर इकतिफा किया जाता है।

तक़लीद के सबूत में दो आयाते क़ुरानिया

अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है ऐ ईमान वालो! तुम कहना मानो अल्लाह का और कहना मानो पैगम्बर और ऊलुल अम्र (दीन के मुजतहेदीन) का जो तुम में से हैं। इस आयत में अल्लाह तआला ने ऊलुल अम्र की इताअत और फरमाबरदारी का हुकुम फरमाया है, ऊलुल अम्र कौन लोग हैं इसकी तफसीर बाज़ मुफस्सेरीन ने सुलतान और बादशाह से की है और बाज़ मुफस्सेरीन ने इमाम मुजतहिद से फरमाई है लेकिन गौर किया जाए तो इसमें कोई तज़ाद नहीं है यह सब ऊलुल अम्र में दाखिल हैं। अमर दो तरह के होते है, दुनियावी और दीनी। मुल्क की सियासत के एतेबार से सलातीन और बादशाह

ऊलुल अम्र हैं यानी मुल्की व हुकूमती इंतिज़ामात में सुल्तान का हुकुम बजा लाना जरूरी है, वरना दुनियावी मामलात में सख्त किसम का इंतिशार पैदा होगा। शरीअत के ऊलुल अम्र अइम्मा मुजतहेदीन हैं जो किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह से वाकिफ और इस्तिंबात मसाइल पर क़ादिर होते हैं, लिहाज़ा शरअ के ऊलुल अम्र अइम्मा मुजतहेदीन हुए और शरई उमूर में उनकी ताबेदारी लाज़िम हुई। ऊलुल अम्र की इस वज़ाहत से यह बात साफ हो गई कि आयते करीमा से यह अमर साबित है कि वह मुसलमान जो खुद मुजतहिद नहीं हैं उनको किसी मुजतहिद का हुकुम बजा लाना वाजिब और ज़रूरी है। चूंकि अइम्मा अरबा बहुत बड़े मुजतहिद हैं, अगर उनका इत्तिबा किया जाए तो यह बात इस आयते करीमा से बखूबी साबित है गर्जकि अव्वल दर्जा में अल्लाह की इताअत का हुक्म फरमाया गया है और दूसरे दर्जा में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करने का हुकुम दिया गया है और तीसरे दर्जा में मुजतहेदीन के फरमान पर चलने का हुकुम दिया गया है। सहाबी रसूल व मुफस्सिरे कुरान हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऊलुल अम्र से मुराद असहाबे फिक़्हा व असहाबे दीन हैं। (मुस्तदरक हाकिम, किताबुल इल्म, बाब फी तौकीरिल आलिम)

इसी तरह अल्लाह तआला इरशाद फरमाता है तुम पूछो ज़िक्र वालों से अगर तुम नहीं जानते, यहां ज़िक्र से मुराद इल्म है। (तफसीर इबने कसीर) यानी जो लोग खुद अहकामे शरीइया से वाक़िफ न हों वह अहले इल्म से पूछ करके उनपर अमल करें। हाफिज़ इबने अब्दुल बर लिखते हैं उलमा-ए-कराम का इस बात पर इत्तिफाक़ है

कि अवाम के लिए अपने उलमा की तक़लीद वाजिब है और अल्लाह के कौल से यही लोग मुराद हैं और सबका इत्तिफाक़ है कि अंधे पर जब क़िबला मुशतबा हो जाए तो जिस शख्स की तमीज़ पर उसे भरोसा है क़िबला के सिलसिला में उसकी बात माननी लाज़िम है, इसी तरह वह लोग जो इल्म और दीनी बसीरत से आरी (जानकार नहीं) हैं उनके लिए अपने आलिम की तक़लीद वाजिब है। (जामे बयानुल इल्म व फुजला)

गर्जकि दोनों आयात में वज़ाहत मौजूद है कि अहकाम व मसाइल से नावाकिफ हज़रात उलमा व फुक़हा से मालूम करके अमल करें। और यह बात इंसानी अक़ल और फितरत के ऐन मुताबिक़ भी है कि जब हम अपने तमाम दुनियावी मामलात में तक़लीद करते हैं, मसलन इलाज के लिए डाक्टरों पर, मकान के लिए इंजीनियरों पर और कानूनी मशवरा के लिए वकीलों पर भरोसा करते हैं। साइंसदानों कि तहकीक पर पूरा एतेमाद किया जाता है। नीज़ तारीख में मुअर्रिखीन व मुहक्केकीन की आरा और हदीस के रावी को सिकह या कमजोर करार देने के लिए माहेरीन असमाउर रिजाल और मुहद्दिसीन की आरा पर मुकम्मल भरोसा किया जाता है, आयाते कुरानिया को नासिख व मंसूख करार देने में मुफस्सेरीन की आरा, तजवीद के कवाएद में कुरा की आरा और सीरत नबवी में अहले सीयर की आरा को क़बूल किया जाता है। इसी तरह अहकामे शरीइया में भी ज़रूरी है कि इंसान अपने से ज्यादा साहबे इल्म व मुजतहिद की राय पर अमल करे, इसी का नाम तक़लीद है।

तक़लीद के सबूत में हदीसे नबवी

हज़रत हुजैफा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझ को मालूम नहीं कि तुम लोगों में कब तक ज़िन्दा रहूँगा, सो तुम लोग इन दोनों शख्सों की इकतिदा करना जो मेरे बाद होंगे और हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुम की तरफ इशारा फरमाया (तिरमीज़ी) जाहिर है कि मेरे बाद से इन दोनों हज़रात का ज़माना खिलाफत मुराद है और मतलब यह है कि उनके खलीफा होने की हालत में उनका इत्तिबा करना और यह भी जाहिर है कि एक वक्त में खलीफा एक ही साहब होंगे, लिहाजा अबू बकर की खिलाफत में उनकी पैरवी करना और हज़रत उमर की खिलाफत में हज़रत उमर की ताबेदारी करना। पस एक जमाना खास तक एक मुऐयन शख्स के इत्तिबा का हुकुम फरमाया और यह नहीं फरमाया कि उन से अहकाम और मसाइल की दलील की दरयाफ्त कर लिया करना और इसी को तक़लीद शख्सी कहते हैं। जिसका सबूत इस कौली हदीस से बखूबी हो गया, नीज इस हदीस में इक़तिदा का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है जो इंतिजामी उमूर में इस्तेमाल नहीं होता इसका मफहूम बेऐनेही वही है जो बयान किया जा चुका है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ इलाकों में सहाबा-ए-कराम को भेजा और मुसलमानों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत होती कि वह उनकी तालीमात पर अमल करें। हज़रत मुसअब बिन उमैर को मदीना भेजा गया, हज़रत अली और हज़रत मआज बिन जबल रजी अल्लाहु अन्हुम यमन भेजे गए, अहदे फारूकी में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद को कूफा भेजा गया। जाहिर

है कि वहां के लोग उन्हीं के फतवे पर अमल करते थे, यही तकलीद है।

मकसद तकलीद और उसकी हकीकत

दीने इसलाम की असल दावत यह है कि सिर्फ अल्लाह तआला की इताअत की जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फेल से अहकामे इलाही की तर्जुमानी फरमाई है कि कौन सी चीज हलाल है और कौन सी चीज हराम, इस लिए हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी जरूरी है, लिहाजा शरीअत के तमाम मामलात में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत ज़रूरी है। हर मुसलमान का फर्ज है कि वह सिर्फ कुरान व सुन्नत की ताबेदारी करे, जो शख्स रसूल के बजाए किसी और की इताअत करने का कायल हो उसको मुस्तकिल बिज्जात मुताअ समझता हो वह यकीनन दायरा-ए-इसलाम से बाहर है, लिहाजा हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वह कुरान व सुन्नत के अहकाम की इताअत करे, लेकिन कुरान व सुन्नत में बाज अहकाम तो वह हैं जिन्हें हर मामूली पढ़ा लिखा आदमी समझ सकता है, उनमें कोई इजमाल या इबहाम या तआरुज नहीं, जो शख्स भी देखेगा वह समझ लेगा और उसे कोई उलझन पेश नहीं आएगी। इससके बरखिलाफ कुरान व सुन्नत में बहुत से अहकाम ऐसे हैं जिनमें किसी कदर इबहाम या इजमाल है और कुछ ऐसे भी हैं कि कुरान की किसी दूसरी आयत या किसी हदीस से बजाहिर मुतआरिज हैं, ऐसे जगहों पर कुरान व हदीस से अहकाम का इस्तिंबात करना नेहायत दिक्कत तलब और दुश्वार है।

अब दो सूरतें हो सकती हैं, एक यह कि हम अपने नाकिस इल्म, कोताह फहम और नाम निहाद बसीरत पर एतेमाद करके इस किस्म के मामलात में खुद कोई फैसला कर लें और इस पर अमल करें, और दूसरी सूरत यह है कि इस किस्म के मामलात में अपने फैसला करने के बजाए हम यह देखें कि क़ुरान व सुन्नत के इन इरशादात से हमारे असलाफ ने क्या समझा है, क़रने ऊला के जिन बुज़ुर्गों ने अपनी पूरी पूरी जिन्दगी सर्फ करके मसाइल का इस्तिंबात किया उनमें से जिन्हें हम उलूमे क़ुरान व हदीस का ज्यादा माहिर देखें उनकी फहम व बसीरत पर एतेमाद करें और उन्होंने जो कुछ समझा है उसके मुताबिक अमल करें। गायरे नजर से देखने के बाद इस बारे में दो रायें नहीं हो सकतीं कि उन दोनों सूरतों में पहली सूरत हर जीहोश के नजदीक नेहायत खतरनाक है और दूसरी सूरत बहुत मुहतात। इससे भी किसी को इंकार नहीं हो सकता कि इल्म व फहम, दीन व दियानत, तकवा और परहेजगारी हर एतेबार से हम इस कदर कमजोर हैं कि करने ऊला के फुकहा व उलमा से हमारा कोई मुकाबला नहीं, फिर भी जिस मुबारक दौर और मुकद्दस माहौल में क़ुरान नाजिल हुआ था करने ऊला के फुकहा व उलमा इससे भी करीब तर थे और इस कुर्बे जमानी और सहाबा व ताबेईन से इस्तिफादा की बिना पर उनके लिए क़ुरान व सुन्नत की मुराद को समझना ज्यादा आसान था, उसके बरखिलाफ हम अहदे रिसालत से इतनी दूर हैं कि हमारे लिए उस जमाने के तरजे मुआशिरत और तरजे गुफतगु का जैसा चाहे तसौव्वर भी मुश्किल और दुश्वार है, क्योंकि किसी शख्स या किसी दौर की बात समझने के लिए उसके पूरे पसे मंजर का सामने होना जरूरी होता है। इन तमाम बातों का

लिहाज करते हुए अगर हम अपने फहम पर एतेमाद करने के बजाए मुख्तलिफ ताबीर और पेचीदा मामलात में इसी मतलब को दुरुस्त करार दें जो हमारे असलाफ में से किसी मुमताज आलिम ने समझा है तो कहा जाएगा कि हमने फ्लां आदमी की तकलीद की। इस बात से यह बात भी वाजेह हो गई कि किसी इमाम या मुजतहिद की तकलीद सिर्फ इस मौका पर की जाती है जहां क़ुरान व सुन्नत से किसी हुकुम के समझने में इजमाल या इबहाम या किसी तआरूज की वजह से कोई उलझन या दुश्वारी हो और जहां इस किसम की कोई उलझन या दुश्वारी न हो वहां किसी इमाम और मुजतहिद की तकलीद जरूरी नहीं, नीज मजकूरा बाला गुजारिशात से यह बात भी साफ हो जाती है कि किसी इमाम व मुजतहिद की तकलीद का मतलब यह है कि पैरवी तो क़ुरान व सुन्नत की है, महज मुराद समझने के लिए बहैसियत शारेह कानून उनकी तशरीह और ताबीर पर एतेमाद किया गया है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि इस अमल में कौन-सी बात ऐसी है जिसे गुनाह या शिर्क कहा जाए, हां अगर कोई शख्स किसी इमाम को शारेह का दरजा दे कर उसे वाजिबुल इत्तिबा करार देता हो तो बिला शुबहा उसे शिर्क कहा जा सकता है, लेकिन किसी को शारेह कानून करार दे कर अपने मुकाबला में उसकी फहम व बसीरत पर एतेमाद करना तो इफलासे इल्म के इस दौर में इस कदर नागुजीर है कि उससे कोई भाग नहीं सकता, पस तकलीदे अइम्मा मुजतहेदीन का असल मकसद दीन की हिफाजत और क़ुरान व हदीस पर आसानी से अमल करना है।

इजतिहाद और तक़लीद की ज़रूरत

शरीअते इस्लामिया में फरूई और जुज़ई मसाइल दो तरह के हैं, एक वह मसाइल जिनका सूबत ऐसी आयाते कुरानिया और अहादीसे सहीहा से सराहतन मिलता है जिन में बज़ाहिर कोई तआरूज़ नहीं और इन मसाइल पर उनकी दलालत क़तई है, इस किसम के मसाइल को मंसूसा गैर मुतआरिज़ा कहते हैं, और ऐसे मसाइल में इजतिहाद की क़तअन ज़रूरत नहीं होती और न मुजतहिद इस किसम के मसाइल में इजतिहाद करता है, क्योंकि मुजतहिद के लिए यह शर्त है कि वह हुकुम सराहतन मंसूस न हो। जब इन मसाइल में इजतिहाद की गुंजाइश नहीं तो इनमें किसी मुजतहिद की तकक़लीद की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे मसाइल में उन अहकाम पर अमल किया जाएगा जो आयात व अहादीस से सराहतन साबित हैं। दूसरे वह मसाइल जिनका सबूत सराहतन किसी आयत या हदीसे सही से नहीं, या सबूत तो है मगर इस आयत या हदीस में बहुत से मानी का इहतिमाल होने की वजह से क़तई तौर पर किसी एक मानी पर महमूल नहीं किया जा सकता, या वह किसी दूसरी आयत या हदीस से बज़ाहिर मुआरिज़ है, इस किसम के मसाइल को इजतिहाद गैर मंसूसा कहा जाता है, इस किसम के मसाइल में इजतिहाद की ज़रूरत होगी और उनका सही हुकुम मुजतहिद के इजतिहाद से मालूम हो सकेगा और यही वह मसाइल हैं जिन में गैर मुजतहिद को तक़लीद की ज़रूरत वाक़े होती है। अब चूंकि शरीअते इस्लामिया के तमाम जुज़ई मसाइल मंसूस नहीं हैं कि हर कस नाकस उनका सही हुकुम समझ सके, बल्कि बहुत से मसाइल इजतिहादी हैं जिनमें इजतिहाद की ज़रूरत है, पस अल्लाह तआला ने अपने फज़ल व

करम से उम्मत के मख्सूस अफराद को वह कुव्वते इजतिहाद अता फरमाई कि वह हज़रात कुरान व हदीस में गौर व फिक्र करके उन जुज़ई मसाइल के अहकाम मुस्तंबत करें जिनका सराहतन ज़िक्र नहीं है और आम लोगों के लिए अमल की राह आसान कर दें। हज़रात सहाबा-ए-कराम जिनको हमा वक्त दरबारे नबवी में हाज़िरी का शर्फ हासिल था उनको तो इस कुव्वते इजतिहाद से काम लेने की मुतलक ज़रूरत न थी क्योंकि उनको दरबारे नबवी से तमाम मसाइल मालूम हो जाते थे लेकिन सहाबा-ए-कराम की वह जमाअत जो मदीनतुर रसूल से बाहर किसी मक़ाम पर रहते थे या वह लोग जो बाद में हलक़ा बगोश इसलाम होने वाले थे उनको इस कुव्वत इजतिहाद की शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि ऐसे मसाइल इजतिहादिया में शरीअते इस्लामिया पर पूरे तौर पर अमल करना बेगैर इजतिहाद के गैर मुमकिन था, पस अल्लाह तआला ने खैरूल क़रून में बेशुमार सहाबा-ए-कराम, ताबेईन व तबेतबाईन और उनमे बाद हम को इस दौलते इजतिहादिया से नवाज़ा और खुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मआज़ बिन जबल को यमन रवाना करते वक्त साफ और वाजेह लफ्जों में इजतिहाद की तहसीन और तसवीब फरमाई।

हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाहु अन्हु को यमन का क़ाज़ी बना कर रवाना फरमाया तो यह पूछा कि अगर कोई मामला पेश आ जाए तो किस तरह फैसला करोगे? अरज़ किया गया किताबुल्लाह के मुवाफिक़ फैसला करूंगा, फरमाया कि अगर वह मसअला किताबुल्लाह में न हो तो? अरज़ किया कि रसूल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की

सुन्नत से फैसला करूंगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर उसमें भी न मिले? अरज़ किया उस वक्त इजतिहाद व इस्तिंबात करके अपनी राय से फैसला करूंगा और तलाश में कोई कमी न छोरूंगा। हज़रत मआज बिन जबल फरमाते हैं कि आपने इस पर (खुशी से) अपना दस्ते मुबारक मेरे सीना पर मारा कि अल्लाह का शुक्र है उसके अपने रसूल के क़ासिद को इस बात की तौफीक़ दी जिस पर अल्लाह का रसूल राज़ी और खुश है। (अबु दाउद, तिरमीज़ी, व दारमी) गौर फरमाइये कि यह वाक्या तक़लीद और इजतिहाद दोनों मसलों के लिए शमा हिदायत है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन के लिए अपने फुक़हा सहाबा में से सिर्फ एक जलीलुल क़दर सहाबी को भेजा और उन्हें हाकिम व क़ाजी, मुअल्लिम व मुजतहिद बना कर अहले यमन पर लाजिम कर दिया कि वह उनकी ताबेदारी करे, उन्हें सिर्फ क़ुरान व सुन्नत ही नहीं बल्कि कयास व इजतिहाद के मुताबिक भी फतवा सादिर करने की इजाज़त अता फरमाई, इसका साफ मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले यमन को उनकी तक़लीद शख्सी की इजाज़त दी बल्कि उसको उनके लिए लाजिम फरमाया।

अहदे सहाबा व ताबेईन में तक़लीद

बर्रे सगीर की अज़ीम इल्मी शख्सीयत हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिसे दिल्ली (1703-1762 ई॰) ने तक़लीद के मसअला पर बड़ी बसीरत अफरोज़ रौशनी डाली है और चूंकि हज़रात गैर मुकल्लेदीन तक़लीद की मुखालफत करने में अक्सर व बेशतर (गलत तौर पर)

उनका कलाम पेश करके अवाम को गलत फहमी में मुबतला करते हैं, इस लिए इस मौक़ा पर हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली ही ने इस मसअला की जो वज़ाहत फरमाई है उसको बयान करना मुनासिब समझता हूं। हज़रत शाह वलीउल्लाह जिन को न सिर्फ हिन्द व पाक के तमाम मकातिबे फिक्र अपना बुज़रूग तसलीम करते हैं बल्कि अरब व अजम में भी एक बुलंद मक़ाम हासिल किए हुए हैं। मौसूफ की किताबें पूरी दुनिया में बड़ी क़दर की निगाह से देखी जाती है। मौसूफ की एक किताब (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा) तो इब्तिदा-ए-इसलाम से अब तक तहरीर करदा तमाम किताबों में एक इमतियाज़ी मक़ाम रखती है। बर्रे सगीर के तमाम मकातिबे फिक्र हज़रत शाह वलीउल्लाह से अपना इल्मी रिश्ता जोड़ कर अपने मक्तबे फिक्र के हक होने का दावा करते हैं। उमूमी तौर पर बर्रे सगीर में हदीस की सनद मौसूफ से ही हो कर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है।

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं कि हज़रात सहाबा और ताबेईने एज़ाम के अहदे ज़माना में यह रिवाज था कि जब किसी को कोई मसअला दरपेश होता और इस मसअला में वह खुद कोई फैसला न कर सकता तो वह किसी भी साहबे बसीरत आलिम की तरफ रुजू करता और उससे दरयाफ्त करके अमल कर लेता था। क्योंकि सहाबा-ए-कराम से लेकर चार मज़ाहिब के जुहूर तक यही दस्तूर और रिवाज रहा कि कोई आलिम मुजतहिद मिल जाता तो उसी की तक़लीद कर लेते थे, किसी भी मोतबर आदमी ने इस पर मना नहीं की, अगर यह (तक़लीद) बातिल होती तो वह हज़रात इस पर ज़रूर मना फरमाते। (अकदुल मजीद जिल्द 22)

हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली के नज़दीक मुकल्लिद का अपने इमाम को तमाम अइम्मा पर फज़ीलत देना तक़लीद इमाम के लिए ज़रूरी नहीं है, चुनांचे फरमाते हैं इस एतेराज का जवाब यह दिया गया है कि तक़लीद के सही होने में यह एतेकाद रखना बिल इजमा ज़रूरी नहीं कि मेरा इमाम बाकी और अइम्मा पर फज़ीलत रखता है, इस लिए सहाबा-ए-कराम और ताबेईन यह अकीदा रखते थे कि तमाम उम्मते में अफज़ल तरीन अबूबकर और फिर उमर हैं, उसके बावजूद बहुत से मसाइल में उन दोनों हज़रात की राय के खिलाफ दूसरे सहाबा की तक़लीद करते थे और इस पर किसी ने एतेराज़ नहीं किया, लिहाज़ा यह मसअला इजमाई है। (इकदुल जीद जिल्द 76)

सहाबा-ए-कराम और ताबेईन का ज़माना चूंकि ज़माना नबुव्वत से करीब तर था, इस वजह से वह बहरे हाल खैर व बरकत और खुलूस व लिल्लाहियत का ज़माना था, इसमें तक़लीद गैर शख्सी के अन्दर किसी किस्म के बडे नुक्सान का गुमान नहीं हो सकता था। दूसरे यह कि उस ज़माना में इल्म फिक़्ह की तदवीन भी अमल में नहीं आई थी, लेकिन हज़रात ताबेईन के बाद का ज़माना चूंकि ज़माना नबुव्वत से बईद हो चुका था, आम तौर पर तबीअत भी पहले से मुख्तलिफ हो गई थीं, इसलिए तक़लीद की मौजूदा वुसअतों को तक़लीद शख्सी में महदूद करना नागुजीर था, वरना मफासिद का दरवाज़ा खुल जाता और अहकाम शरा बच्चों का खेल बन कर रह जाते, चुनांचे दूसरी सदी हिजरी के इख्तिताम पर अइम्मा मुजतहेदीन के तफक्कुहात किताबी शकल में मुदव्वन होना शुरू हो गए, जिन लोगों को तदवीन शुदा मज़ाहिब मुयस्सर आए उन्होंने उसी मज़हब

की पैरवी कर ली और तक़लीद शख्सी इख्तियार की, अलबत्ता जिन को वह मज़ाहिब मुयस्सर न हो सके वह उस ज़माना में भी बदरजा मजबूरी तक़लीद गैर शख्सी ही करते रहे हत्ता कि उनको कोई मज़हब दस्तियाब हो गया। इस बारे में हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं और दूसरी सदी के बाद लोगों में मुतऐयन मुजतहिद की पैरवी का रिवाज हुआ और बहुत कम लोग ऐसे थे जो किसी खास मुजतहिद के मज़हब पर एतेमाद न करते हों और इस ज़माना में यही ज़रूरी था। (अल इंसाफ पेज 4) इश्तिगाल फिल फिक़ह की तफसील करते हुए हज़रत शाह वली उल्लाह मुहद्दिस दिल्ली फरमाते हैं अल हासिल उन मुजतहेदीन का साहबे मज़हब होना और फिर लोगों का उनको इख्तियार करना यह एक राज है जिसको अल्लाह तआला ने उन पर इलहाम किया और उनको इसपर मुजतमा कर दिया चाहे उसको जाने या न जानें। (अल इंसाफ पेज 67)

हज़रत शाह फरमाते हैं कि तक़लीद शख्सी का रिवाज गो दूसरी सदी हिज़री के बाद हो गया था मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जो तक़लीद गैर शख्सी पर आमिल थे और इस को उन्होंने बिलकुल्लिया तरक नहीं किया था, फरमाते हैं जानना चाहिए कि चौथी सदी हिज्री से पहले तमाम लोग मुतऐयन तौर पर किसी मज़हब खास की पैरवी (यानी तक़लीद शख्सी) पर मुत्तफिक़ नहीं हुए थे। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पेज 12, जिल्द 1)

अइम्मा अरबा की तक़लीद

जब इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमुतल्लाह अलैहिम का फिक़ह किताबी

शकल में तैयार हो कर तमाम मुमालिके इस्लामिया में फैल गया और आम तौर पर रायज हो गया तब इन्ही मज़ाहिबे अरबा में तक़लीद का इंहिसार हो गया और फिर तक़लीद शख्सी के सिलसिला में किसी को भी इख्तिलाफ न रहा बल्कि उसके खिलाफ करने को सवादे आज़म से फरार व इंहिराफ के मुतरादिफ समझा जाने लगा जो बड़ा गुनाह है। हज़रत शाह फरमाते हैं कि जब बजुज़ मज़ाहिबे अरबा के और सारे मज़ाहिब हक्का खत्म हो गए तब इन्ही मज़ाहिबे अरबा का इत्तिबा सवादे आज़म का इत्तिबा करार पाया और इन चारों मज़ाहिब से निकलना सवादे आज़म से निकलने के मुरादिफ ठहरा। (इक्दुलजीद पेज 38) और हज़रत शाह साहब उसकी वजह यह बयान फरमाते हैं कि उन मज़ाहिबे अरबा में तक़लीद शख्सी के इंहिसार और ज्वाज़े तक़लीद पर इजमा उम्मत है और यह कवी तरीन दलील है, फरमाते हैं तमाम उम्मत ने या उम्मत के क़ाबिले लिहाज़ अफराद ने उन मज़ाहिबे अरबा मशहूरा की तक़लीद के ज्वाज़ पर इजमा कर लिया है जो आज तक जारी है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा पेज 23, जिलद 1) और फरमाते हैं और इसमें बहुत सी मसलिहतें हैं जो पोशिदा नहीं हैं बिलखुसूस इस ज़माना में कि हिम्मतें पस्त हो गई हैं और नुफूस में खाहिशात का गलबा और हर राय वाला अपनी राय पर मगरूर है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा) फिर आगे चल कर तक़लीद शख्सी पर लान तान करने वालो पर सख्त तंक़ीद फरमाते हैं अल्लामा इबने हज़्म ने जो राय क़ायम की हैकि तक़लीद हराम है और सिवाए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी और का कौल लेना हलाल नहीं, यह एक बेदलील बात है। (हुज्जतुल्लाहिल बालिगा)

तक़लीद के बारे में हज़रत शाह साहब का नज़रिया यह था कि अगर बिल फरज़ कोई शख्स किसी ऐसे मुल्क में ठहरा हो जहां किसी दूसरे मज़हब का कोई आलिम या उसकी किताबें मौजूद न हों तो उसको मुरव्वजा मज़हबे हनफिया की तक़लीद करना ज़रूरी है, इसी में खैर है, फरमाते हैं जब कोई शख्स हिन्दुस्तान या उसके आस पास में ठहरा हो जहां कोई शाफई, मालकी और हम्बली आलिम न हो और न उन मज़ाहिब की किताबें ही मुयस्सर आ सकती हों तो उस शख्स पर वाजिब है कि वह सिर्फ इमाम अबू हनीफा की तक़लीद करे, उनके मज़हब से अलग होना उसके लिए हराम है, क्योंकि उससे अलग होने की सूरत में वह शरीअत की रस्सी अपनी गर्दन से उतार फेंकेगा और फिर यूंही आज़ाद फिरता फिरेगा। (अल इंसाफ)

हज़रत शाह साहब ऐसे शख्स को कतअन नापसन्द फरमाते थे जो मुहद्दिसीन और फुक़हा से किनारा कश हो जाए, अपनी किताब अल इंसाफ में फरमाते हैं कि जो शख्स ऐसे सूफिया-ए-कराम से जो आलिमे शरीअत भी हों और ऐसे उलमा से जो सूफी हों या मुहद्दिसीन से जिनको अहादीसे नबविया से वाफिर हिस्सा मिला हो और ऐसे फुक़हा से जिनको फिक़ह से गहरा तअल्लुक़ हो तअल्लुक़ खत्म करे वह शख्स हमारे गिरोह से नहीं है।

अल्लामा इबने खलदून (1332-1406ई॰) मुकद्दमा तारीख में लिखते हैं दियार व अमसार में उन ही अइम्मा अरबा में तक़लीद मुंहसिर हो गई और उनके सिवा जो इमाम थे उनके मुक़ल्लिद नापैद हो गए और लोगों ने इख्तिलाफात के दरवाज़े और रास्ते बन्द कर दिए और चूंकि इस्तलाहाते इल्मिया मुख्तलिफ हो गईं और लोग मरतबा इजतिहाद तक पहुंचने से रह गए और इस अमर का अंदेशा पैदा

हुआ कि इजतिहाद के मैदान में कहीं ऐसे लोग न कूद पड़े जो न तो उसके अहल हैं और न उनका दीन और उनकी राय क़ाबिल व वसूक़ है, लिहाज़ा उलमा-ए-ज़माना में जो मोहतात थे उन्होंने इजतिहाद से अपना इज्ज ज़ाहिर कर दिया और उसके दुश्वार होने की तसरीह फरमा दी और उन ही अइम्मा मुजतहेदीन की तक़लीद के लिए जिन के लोग मुक़ल्लिद हो रहे थे हिदायत और रहनुमाई करने लगे और चूंकि तदावुल तक़लीद में तलाउब है यानी इस तरह तक़लीद करने में कि कभी एक इमाम और कभी दूसरे इमाम की तरफ रुजू करने में दीन खिलौना बन जाता, इस लिए इस तरह की तक़लीद करने से लोगों को मना करने लगे और एक ही इमाम की तक़लीद करने पर जोर देने लगे और सिर्फ नक़ल मज़हब बाकी रह गया और बाद तसही असूल व इत्तिसाल सनद बिर रिवाया हर मुक़ल्लिद अपने अपने इमाम मुजतहिद की तक़लीद करने लगा और फिक़ह से आज बजुज़ इस अमर के कुछ और मतलब नहीं और फी ज़माना मुद्दई इजतिहाद मरदुद और उसकी तक़लीद महजूर और मतरूक है और अहले इसलाम उन्हें अइम्मा अरबा की तक़लीद पर मुस्तकीम हो गए हैं।

मज़ाहिबे अरबा में तक़लीद शख्सी का इंहिसार फज़ले रब्बानी है

मसाइल इजतिहादिया गैर मंसूसा में मुजतहिद से किसी भी सूरत में इस्तिगना नहीं हो सकता और अइम्मा अरबा के मासिवा बाकी तमाम मज़ाहिब जिन में मज़ाहिबे हक्कुह भी थे चौथी सदी हिजरी तक खत्म हो गए और आने वाले लोगों में मुजतहिद बनने की उम्मीद भी बाक़ी नहीं रही तो अब सिर्फ दो ही सूरतें थीं, या तो लोग

अपने अपने ख्यालात को काफी समझ कर उस पर अमल करते या अइम्मा अरबा की तक़लीद इख्तियार करते और अपने आपको इत्तिबा-ए-हवा से महफुज़ रखते, पस अल्लाह तआला ने अपने फज़ल व करम से लोगों में अइम्मा अरबा की तक़लीद शख्सी की मुहब्बत पैदा कर दी। हरज़त शाह साहब अपनी किताब अल इंसाफ में फरमाते हैं अइम्मा मुजतहेदीन के मज़ाहिब का पाबन्द होना एक राजे खुदावंदी है जिसको अल्लाह तआला ने उलमा के दिलों में इलहाम फरमाया है और इस पर उनको जमा कर दिया है वह समझें या न समझें। दूसरी जगह फरमाते हैं मुजतहेदीन की चौथी अलामत यह है कि उनके लिए क़बूलियत आसमान से नाजिल हो (इस तौर पर) कि उनके इल्म की तरफ उलमा, मुफस्सेरीन, मुहद्दिसीन और अरबाबे असूल व हुफ्फाज़े कुतुब हदीस व फिक़ह गिरोह दर गिरोह मायल हो जायें और इस मक़बूलियत और उलमा की तवज्जोह पर ज़मानाहाय दराज़ गुजर जायें कि यह क़बूलियत दिलों की तह में बैठ जाए, सो अलहमदु लिल्लाह यह अलामत अइम्मा अरबा में पूरी तरह पाई जाती है, लिहाज़ा मज़ाहिबे अरबा इंदल्लाह मकबूल हैं।

तक़लीदे शख्सी का वजूब

इस बेदीनी, कम अक़ली और नफस प्रस्ती के दौर में तक़लीदे शख्सी ज़रूरी है, इससे किसी भी साहबे फहम और सलीमुत तबा आदमी को क़तअन इंकार नहीं हो सकता। तक़लीद के वजूब और उसकी ज़रूरत को समझने के लिए पहले वजूब के मानी समझ लेना चाहिए, किसी चीज़ के वाजिब होने की दो सूरतें होती हैं, एक यह कि क़ुरआन व हदीस में ख़ुसूसियत के साथ उसकी ताकीद फरमाई गई हो जैसे

नमाज़ व रोजा वगैरह, इस तरह के वजूब को वजूब बिज्जात कहते हैं, वजूब की दूसरी सूरत यह है कि उस अमर की खुद तो सराहतन ताक़ीद नहीं की गई है मगर जिन उमूर की क़ुरान व हदीस में ताक़ीद की गई है उन पर अमल करना इस अमर के बेगैर मुमकिन न हो इस लिए इसको भी ज़रूरी और वाजिब कहा जाएगा, क्योंकि यह एक मशहूर असूल है कि (वाजिब का मुकद्दमा भी वाजिब होता है) यानी जिस चीज़ पर किसी वाजिब का दार व मदार हो वह खुद भी वाजिब होती है, मसलन क़ुरान व हदीस की तदवीन और किताबत। शरीअत में कहीं भी क़ुरान व हदीस को यकजा करने और उनको तहरीरी शकल में लाने का सराहतन हुक्म मौज़ूद नहीं है, लेकिन चूंकि क़ुरान व हदीस को महफ़ूज़ रखना और उसको बरबाद होने से बचाना एक शरई फरीज़ा है जिसकी बार बार ताक़ीद की गई है और तजुर्बा शाहिद है कि बेगैर किताबत के आदतन उनकी हिफाज़त नामुमकिन थी, इस लिए क़ुरान व हदीस के लिखने को ज़रूरी और वाजिब समझा गया, यही वजह है कि दलालतन इस पर उम्मत का इत्तिफाक चला आ रहा है, इस तरह के वजूब को वजूब बिलगैर कहते हैं।

अइम्मा हदीस मुक़ल्लिद थे

तक़लीद से कोई ज़माना खाली न रहा, इब्तिदाई दौर में लोग जिस आलिम को मुतदययिन पाते उसकी तक़लीद कर लेते, फिर मज़कूरा बाला मसालेह की बिना पर हामयाने इसलाम ने इमाम मुतऐयन की तक़लीद मुकर्रर कर दी और लोगों को मुतलकुल इनानी से बाज़ रखा, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता तमाम मज़ाहिब अहले सुन्नत खत्म

हो गए और सिर्फ मज़ाहिब अरबा बाकी रह गए तब जम्हूर मुसलमान उन्हीं की तक़लीद पर मुत्तफिक़ हो गए हत्ता कि अकाबिर मुहद्दिसीन भी दायरा तक़लीद से बाहर नहीं रहे। तफसील जैल से आपको मालूम होगा कि तमाम अइम्मा हदीस ने अइम्मा अरबा में से किसी न किसी इमाम मुजतहिद की तक़लीद का क़लादा अपनी गर्दन में डाला है और वह मुक़ल्लिद रहे हैं, चूनांचे उनमें से बाज़ मुहद्दिसीन के बारे में कुछ तफसील पेश है।

इमाम बुखारी- मोहम्मद बिन इसमाइल बुखारी, साहबे बुखारी वफात 256 हिजरी शाफी उल मज़हब हैं, उन्होंने अपने उस्ताद हमिदी से हासिल किया जो शाफइ उल मज़हब हैं, इमाम बुखारी के शाफइ उल मज़हब होने को बक्सरत उलमा-ए-मुहक्केकीन ने बयान किया है, नीज़ हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिल्ली ने अपनी किताब "अल इंसाफ" में जिक्र किया है, फरमाते हैं "इमाम बुखारी बहुत से मसाइल में शाफइ उल मज़हब हैं और कुछ वह मसाइल हैं जिनमें उनको मरतबा इजतिहाद हासिल था, उनमें उन्होंने इमाम शाफइ की मुखालिफत की है"।

इमाम मुस्लिम- हाफिज़ुल हदीस इमाम अबु हुसैन कशीरी साहबे मुस्लिम (वफात 261 हिजरी) शाफी उल मज़हब हैं जैसा कि साहबे कशफुज़ ज़नून और हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब ने "अल इंसाफ" में और बहुत मुहक्केकीन ने जिक्र किया है।

इमाम अबु दाउद- सुलैमान बिन अशअस सजिस्तानी साहब सुनन अबु दाउद (वफात 261 हिजरी) हम्बली मज़हब हैं, इसको तारीख इबने खलकान और हज़रत शाह वलीउल्लाह ने "अल इंसाफ" में जिक्र फरमाया है और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी किताब

“बुस्तानुल मुहद्दिसीन“ में लिखा है कि इमाम अबु दाउद के मज़हब के बारे में इख्तिलाफ है। बाज़ उनको शाफइ कहते हैं और बाज़ हम्बली।

इमाम तिरमीज़ी- अबु ईसा बिन अत्तिरमीज़ी, साहबे जामे तिरमीज़ी (वफात 269 हिजरी) के मुतअल्लिक हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब “अल इंसाफ“ में लिखते हैं कि यह हनफी मज़हब हैं और इमाम इसहाक़ बिन राहविया की तरफ भी मुंतसिब हैं और बाज़ अहले तहकीक ने उनको शाफी उल मज़हब कहा है।

इबने माज़ा- (वफात 253 हिजरी), दारमी (वफात 255 हिजरी) दोनों हज़रात हम्बली उल मज़हब हैं और इमाम इसहाक बिन राहविया की तरफ भी मुंतसिब हैं जैसा कि “अल इंसाफ“ में हज़रत शाह साहब ने जिक्र फरमाया है।

इमाम अब्दुर रहमान अहमद नसई- (वफात 303 हिजरी) साहबे सुनन नसई शाफइ उल मज़हब हैं जैसा कि उनकी किताब “मंसक" इस पर दलालत करती है और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ ने “बुस्तानुल मुहद्दिसीन“ में जिक्र फरमाया है और “जामे उल असूल" में है। नीज़ शैख अब्दुल हक़ मुहद्दिस दिल्ली ने “शरह सफरूस सादात" में भी इसको बयान किया है।

लैस बिन साद- (वफात 174 हिजरी), इमाम बुखारी के उस्ताद और तबेताबेईन में से हैं, हनफी उल मज़हब हैं, अल्लामा किस्तलानी ने इबने खलकान से नक़ल किया है और साहबुल जवाहिरूल मजीया ने अपनी किताब में और अल्लामा ऐनी ने “उम्दतुल कारी शरह बुखारी“ में लिखा है।

इमाम अबु यूसूफ- याकूब बिन इब्राहिम अंसारी (वफात 183 हिजरी)

शागिर्द इमाम आज़म अबू हनीफा हनफी उल मज़हब हैं, तारीख इबने खलकान में है कि उन पर मज़हब अबी हनीफा गालिब था, हां बहुत से मकामात पर उनकी मुखालफत भी की है, यानी जिन मसाइल में उनको मरतबा इजतिहाद हासिल था सिर्फ उनमें मुखालफत की है।

इमाम मोहम्मद बिन हसन अश शैबानी- (वफात 187 हिजरी) शागिर्द इमाम आज़म व इमाम अबु यूसूफ, हनफी उल मज़हब हैं, उन्होंने सिर्फ उन मसाइल में इमाम अबूहनीफा की मुखालफत की है जिनमें उनको मरतबा इजतिहाद हासिल था, उनके हनफी उल मज़हब होने की तसरीह साहब कशफुज़ ज़नून और इबने खलकान वगैरह ने पूरे तौर पर की है।

इसी तरह चौथी सदी हिजरी के बाद जो किबारे मुहद्दिसीन हुए हैं उनके हालात की तफतीश की जाए तो वह भी उन मजाहिबे अरबा से खाली न मिलेंगे, मुलाहिज़ा फरमाऐं- हाफिज़ जैलई, अल्लामा ऐनी, मुहक्किक इबने हुमाम, मुल्ला अली क़ारी वगैरहुम जो अलावा फिक़हा के इल्मे हदीस में भी तजुर्बा रखते थे यह सब हनफी उल मज़हब थे, अल्लामा इबने अब्दुल बर जैसे मुहद्दिस मालकी उल मज़हब हैं, अल्लामा नवी, अल्लामा बगवी, अल्लामा ख्ताबी, अल्लामा ज़हबी, अल्लामा असकलानी, किसतलानी, अल्लामा स्यूती वगैरहुम जिनका फन हदीस में डंका बजता था शाफील उल मज़हब थे और इसी तरह बहुत से उलमा व मुहद्दिसीन हम्बली उल मज़हब हुए हैं, अल्लामा इबने तैमिया और हाफिज़ इबने कैयिम यह दोनों हज़रात हम्बली थे।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की तक़लीद और उसका फैलाओ

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद आपके सहाबा-ए-कराम मुख्तलिफ कसबात और शहरों में गए और मुख्तलिफ मक़ामात पर ठहरे, इरशादे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक "मेरे असहाब सितारों की तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे" तमाम सहाबा अपने अपने मक़ाम पर मुक़तदी और मतबू करार पाए। इसी तरह ताबेईन अपने अपने इलाकों के इमाम बने और लोगों ने उनकी तक़लीद की। 80 हिजरी में हज़रत इमाम अबू हनीफा (नोमान बिन साबित) कुफा में और 95 हिजरी में हज़रत इमाम मालिक मदीना में पैदा हुए, इराकियों ने इमाम अबू हनीफा को अपना इमाम तसलीम किया हेजाज़ियों ने इमाम मालिक को अपना मुक़तदा और पेश्वा करार दिया। 150 हिजरी में मक़ाम गज्जा (फिलिस्तीन) इमाम शाफी की विलादत हुई, आप मरतबा इजतिहाद को पहुंचे और बहुत से लोग उनके मुक़ल्लिद हो गए। 194 हिजरी में इमाम अहमद बिन हम्बल शहर बुगदाद में पैदा हुए, बहुत बड़े मुहद्दिस और इमाम मुजतहिद हुए, बहुत से लोगों ने उनकी तक़लीद इख्तियार की, अगरचे उन अइम्मा अरबा के ज़माना में और उनके बाद और भी बड़े बड़े मुजतहिद थे और उनके भी लोग मुक़ल्लिद थे मगर अल्लाह की मर्जी से उन अइम्मा अरबा के मुक़ल्लेदीन रोज़ बरोज़ बढ़ते गए, नीज़ उनके मसाइल इजतिहादिया किताबों में मुदौविन हो गए, बिल खोसूस इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिद्र इमाम अबु यूसूफ, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफर ने हदीस व फिक़हा में बहुत सी किताबें तसनीफ व तालिफ फरमाईं जिनमें इमाम आज़म के मसाइल फकीहा को पूरी वजाहत के साथ

बयान फरमाया, हत्ता कि खुद इमाम हुमाम ने भी किताबें लिखी जैसा कि अल्लामा कौसरी ने "बलूगूल अमानी" के हाशिया पेज 18 पर लिखा है कि मुतकद्दिमीन की मुअल्लिफात में इमाम साहब की दरजा जैल किताबों का जिक्र मिलता है, किताबुर राय, जिकरोहू इबनुल अवाम, किताब इख्तिलाफुस सहाबा, जिकरोहू अबु आसिम अल आमरी मसूद बिन शिबा, किताबुस सियर, किताबुल औसत, अकताबुल जामे, जिकरोहूल अब्बास इबने मुसअब फी तारीखे मरौवा, अल फिक़हुल अकबर, अल फिक़हुल अबसत, किताबुल आलिम वल मुतअल्लिम, किताबुल रद्द अलल क़दरिया, रिसाला इमाम अबी उसमान अल बती फील इरजा, चंद मकातिब बतौर वसाया जो आपने अपने चंद अहबाब को लिखे और यह सब मशहूर हैं। (मूंक्ल अज़ मुकद्दमा अनवारूल बारी)

दर हक़ीक़त मिल्लते इस्लामिया की मिसाल एक दरख्त तूबा की सी है कि इस दरख्त तूबा से चंद शाखें निकलीं, उनमें से कोई तो एक हाथ बढ़ कर रह गई, कोई दो हाथ और कोई इससे भी ज्यादा बढ़ी, मगर उसकी चार शाखें इतनी बढ़ी और फली फूलीं कि सारे दुनिया में फैल गईं और उनमें भी एक शाख का तो वह नशु व नुमा हुआ कि चार दांग आलम में उसने अपना साया डाला और अलग अलग शहरों में अपना रंग जमा लिया, यह बड़ी शाख मज़हबे हनफीयाकी है कि तीसरी सदी हिजरी ही में सद सिकंदरी तक जो कुहे काफ में हैं पहुंच गया, चूनांचे 248 हिजरी में जबकि खलीफा अब्बासी वासिक बिल्लाह ने कुछ आदमियों को सद सिकंदरी का हाल मालूम करने के लिए भेजा तो वहां के लोगों को हनफी उल मज़हब पाया। तकरीबन एक हजार साल से अहले सुन्नत का 75 फीसद से ज्यादा तबका

इमाम अबू हनीफा की तक़लीद करता चला आ रहा है यानी क़ुरान व हदीस की रौशनी में इमाम अबू हनीफा और उलमा अहनाफ के जरिया बयान करदा अहकाम व मसाइल पर अमल करते चले आ रहे हैं।

बर्रे सगीर में अदमे तक़लीद का आगाज़

बर्रे सगीर में जब से इसलाम ने कदम रखा मुसलमानों की भारी अक्सरीयत बराबर हनफीयूल मज़हब और इमाम आज़म अबू हनीफा की मुकल्लिद रही, जब इसलामी हुकुमत का चिराग बुझ गया और हिन्दुस्तान में अंग्रेजी हुकुमत कायम हुई और हुकुमते बरतानिया की तरफ से मज़हबी मामलात से कोई तआरूज़ न रहा तब तेरहवीं सदी हिजरी में जगह जगह कुछ एसे लोगों ने नशु व नुमा पाया जो अइम्मा अरबा की तकलीद को महज़ बेअसल समझने लगे, उन्होंने इबने हजम, इबने कैम और काज़ी शौकानी के ख्यालात से वाकफियत हासिल की और अहले ज़वाहिर से भी मुतअस्सिर हुए, बात बात में हनफियों से इख्तिलाफ करने लगे और मुकल्लेदीन को बिदअती व मुशिर्क बल्कि काफिर तक कहने लगे।

तक़लीद अइम्मा पर किए जाने वाले इतिराजात की हकीकत

अब इन इतिराजात को जेरे बहस लाया जा रहा है जो आम तौर से तक़लीद पर किए जाते हैं, मुंकेरीन तक़लीद के इतिराज़ात के जवाबात मुलाहिज़ा फरमाने से पहले एक असूली बात जेहन नशीन करलें।

तकलीद की दो किसमें हैं- तकलीदे मशरू और तकलीदे गैर मशरू।

तकलीदे मशरू एसे मसाइले इजतिहादिया में होती है जिनमें शरअन इजतिहाद को दखल है और जिन्हें एसे अइम्मा दीन ने क़ुरान व हदीस से इस्तिंबात किया हो तो पूरी तरह इल्मी व फिकही हैसियत से इजतिहाद के अहल हों और जिनका तकवा और सिदक व इख्लास भी शक व शुबहा से बालातर हो और उनकी यह सिफात इजतिहाद फीद दीन और इस्तिंबात मसाइल शरईया की अहलियत उम्मत के सवाद आजम के नजदीक मुसल्लम हों, पस तकलीद करने वाले इस तरह के मसाइल में अइम्मा कराम पर गायते एतेमाद की बिना पर उनकी तकलीद करते हैं और दर हकीकत यही वह तकलीद है जो मुहतसिन बल्कि वाजिब है जिसका सबूत कुरान व हदीस से, अकाबिरे उम्मत के अमल से और फुकहा मुहद्दिसीन के अकवाल से साबित है और रोज व रौशन की तरह वाजेह है जैसा कि इसपर अहले सेयर हासिल बहस हो चुकी है। तकलीद गैर मशरू इसका नाम है कि एसे मसाइल में किसी का इत्तिबा किया जाए जो मंसूस हैं और जिनमें शरइअन इजतिहाद का दखल नहीं या उनका इस्तिंबात करने वाला इजतिहाद की अहलियत नहीं रखता, मसलन वह दीनदार या सिरे से मुसलमान ही नहीं या इल्म के उस मरतबा पर पहुंचा नहीं जो इजतिहाद के लिए जरूरी है, इसलिए इस तरह की तकलीद गलत बल्कि हराम है।

इस तफसील पर गौर करने के बाद गैर मुकल्लिदों के तकलीद के मसअला पर हर किसम के शुबहात और इतिराज़ात का इजमाली जवाब निकल आता है, बल्कि उलमा अहले हदीस के तमाम इतिराज़ात और शुबहात महज़ एक मुगालता और धोका पर मबनी होने लगते हैं क्योंकि मुकल्लेदीन के मुकाबला में यह लोग दावा तो

करते हैं तकलीद मशरू ममनू होने का और दावा के सबूत में दलायल वह पेश करते हैं जो तकलीद गैर मशरू के रद्द में पेश किए जाने चाहिए, महज तादाद और शुमार बढ़ाने के लिए तो बहुत जिक्र किए जाते हैं मगर उनकी हकीकत और वनज का इतिबार किया जाए तो मालूम होगा कि वह बहुत ही कम हैं इसलिए यहां पर चंद इतिराजात बयान करके जवाबात लिखे जा रहे हैं।

तकलीद पर किए जाने वाले इतिराज़ात के जवाबात

पहला एतेराज़-कहा जाता है कि सूरह बकरा आयत 170 में तकलीद की मुजम्मत की गई है, जब कुफ्फार से कहा जाता है कि पैरवी करो उन अहकाम की जो अल्लाह तआला ने नाजिल फरमाए हैं तो वह जवाब में कहते हैं कि नहीं, हम तो उस रास्ते की पैरवी करेंगे जिनपर हमने अपने बाप दादा को पाया है। (हक तआला बतौर रद्द फरमाता है) क्या हर हालत में अपने बाप दादा की पैरवी करेतरहेंगे गो उनके बाप दादा न कुछ दीन को समझते हों और न हक की राह पाते हों।

जवाब- यह एतेराज़ सरासर मुगालिता है क्योंकि जिन लोगों की तकलीद की जाती है वह दो तरह के होते हैं, एक कुफ्फार और दुसरे अइम्मा मुजतहेदीन। कुफ्फार की तकलीद हराम है और इसी का रद्द अल्लाह तआला ने इस आयत में फरमाया है। अब रही अइम्मा मुजतहेदीन की तकलीद जो आम तौर पर मुसलमानों में रिवाज पजीर है इससे किसी भी आयत या हदीस में मना नहीं किया गया है। नीज चारों अइम्मा की तकलीद क़ुरान व हदीस की इत्तिबा ही है। गौर फरमाइये इस आयत में अकी इत्तिबा ही है। गौर फरमाइयेइस

आयत में अलाह तआला ने बाप दादा की तकलीद की मुजम्मत के दो सबब बयान फरमाए हैं। एक यह है कि वह लोग अल्लाह के नाजिल किए हुए अहकाम को बर मला रद्द करते हैं और उन्हें तसलीम न करने का इलान करते हैं और साफ साफ कहते हैं कि हम उसके बजाए अपने बाप दादा की बात मानेंगे। दूसरे यह कि उनके बुजरूग अकल व हिदायत से बिल्कुल अंधे थे और हम जिस तकलीद की बात कर रहे हैं उसमें यह दोनों सबब नहीं पाये जाते, पहला सबब तो इस तरह नहीं पाया जाता कि कोई भी तकलीद करने वाला (अल्लाह की पनाह) अल्लह और रसूल के अहकाम को रद्द करके किसी इमाम की बात को हरगिज नहीं मानता, बल्कि वह अपने इमाम को क़ुरान व हदीस की वज़ाहत व शरह करने वाला समझता है, दुसरा सबब भी ज़ाहिर है कि यहां नहीं है, क्योंकि इससे कोई अहले हक इंकार नहीं कर सकता कि मुकल्लेदीन जिन अइम्मा मुजतहेदीन की तकलीद करते हैं उनसे किसी को कितना इख्तिलोफ राय क्यों न हो मगर तमाम मुखालेफिन के नज़दीक भी वह हज़रात हर इतिबार से जलीलुल कदर और अजीमुश शान शख्सीयतें हैं, लिहाज़ा अइम्मा की तकलीद को काफिरों की तकलीद पर मुंतबिक करना सरासर जुल्म और हट घरमी है।

दुसरा एतेराज़- कहा जाता है कि सूरह तौबा आयत 31 में तकलीद को शिर्क कहा गया है, उन्होंने अपने उलमा और दरवेशों को अलह तआला के बजाए अपना प्ररवरदिगार बना लिया, इस आयत से मालूम हुआ कि किसी पेशवा के अवामिर व नवाही की इत्तिबा करना शिर्क है, लिहाज़ा अइम्मा मुजतहेदीन की तकलीद शिर्क हुई और तकलीद करने वाले मुशरिक हुए।

जवाब- यहूद व नसारा के रहबान व अहबार महज़ अपनी राय से अहकामे इलाही के खिलाफ लोगों को अच्छी और बुरे कामों का हुकुम दिया करते थे, यानी वह जिस चीज को चाहते ज़रूरी करार देते और जिस को चाहते मना कर देते थे। और लोग उनको मता-ए-मुतलक जान कर उनकी पैरवी करते थे, इसलिए इसको शिरक कहा गया है, लेकिन अइम्मा मुजतहेदीन अपनी जानिब से कोई अमर व नही (अछी और बुरी बातों का हुकुम) नहीं करते हैं और न उनको यह हक हासिल है बल्कि वह क़ुरान व हदीस की रौशनी में बताते हैं कि क्या हलाल है और क्या हराम है?

इसलिए अइम्मा की तकलीद को काफिरों की तकलीद से कोई निसबत नहीं और अइम्मा की तकलीद की मुखालिफत इस आयते करीमा से हरगिज नहीं निकलती।

तीसरा एतेराज़- हज़रत इमाम मालिक मुअत्ता में मुरसलन फरमाते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैंने तुम में दो चीजें छोड़ी हैं जब तकुमतउनपर अमल करोगे हरगिज गुमराह न होगे, एक अल्लाह की किताब और दूसरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। इस हदीस में किताबुल्लाह और हदीस को काबिले अमल और गुमराही से बचने का ज़रिया करार देना इस हुकुम की दलील है कि इन दोनों के मासिवा इमाम के मसाइले इजतिहादिया में इसकी तकलीद करना जायज नहीं है।

जवाब- अइम्मा मुजतहेदीन क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही मसाइल का इस्तिंबात और इस्तखराज करते हैं, वह तौरेत या जूब या रामायण या गीता से मसाइल नहीं लेते हैं, लिहाज़ा उनके बताए हुए

मसाइल को कबूल करना ऐन क़ुरान व हदीस की इत्तिबा है।

चैथा एतेराज़-हज़रत जाबिर रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु एक रोज़ तौरेत का एक नुसखा लेकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और बयान किया कि ऐ रसूले खुदा! यह तौरेत का नुसखा है, आप खामोश रहे, उन्होंने पढ़ना शुरू किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहरा अनवर से नाराज़गी के आसार नुमाया होने शुरू हो गए (इस हदीस के आखीर में है) कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम उस जात की जिसके कब्जा में मोहम्मद की जान है अगर तुम्हारे लिए हज़रत मूसा अलैहिस सलाम जाहिर हो जायें और तुम मुझको छोड़ कर उनकी पैरवी करने लगो तो तुम सीधो रास्ता से बहक जाओगे। (सुनन दारमी) इस हदीस से मालूम होता है कि जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका छोड़ कर हज़रत मुसा अलैहिस सलाम जैसे पैगम्बर की तकलीद और ताबेदारी जायज़ नही तो किसी इमाम या मुजतहिद की तकलीद किस तरह जायज़ और दोरूस्त हो सकती है।

जवाब- हज़रत मूसा अलैहिस सलाम शरीअत मुस्तकिला के पैगम्बर हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीअत हज़रत मूसा की शरीअत के लिए नासिख है, अगर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हज़रत मूसा की इत्तिबा की जाती तो शरीअत मंसूखा की इत्तिबा करना होती जो शरीअते मोहम्मदिया के इंकार को मुस्तलजिम है और सरीह कुफर है, और अइम्मा मुजतहेदीन की तकलीद में क़ुरान व हदीस की इत्तिबा ही है, इसलिए कि यह हज़रात हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती

हैं, आपके फरमाबरदार हैं, क़ुरान व हदीस पर अमल करने वाले हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी ही की गर्ज से मसाइल इजतिहादिया का इस्तिंबात करते हैं।

पांचवा एतेराज़- सहाबा-ए-कराम और ताबेईने इजाम के ज़माना में तकलीद का वजूद न था, लिहाजा यह तकलीद बिदअत हुई, नीज़ सहाबा अफजल उम्मत हैं और अइम्मा अरबा उन मफजूल हैं अगर तकलीद जायज़ होती तो बजाए अइम्मा अरबा के सहाबा की तकलीद रायज होती।

जवाब- तआमुल्ले सहाबा व ताबेईन और खैरूल करून के ज़माना में तकलीद का पाया जाना और उसका रिवाज साबित किया जा चुका है, लिहाजा यह कहना कि अहदे सहाबा व ताबेईन में तकलीद न थी सरासर गलत है। अब रहा यह दावा कि अफज़ल के होते हुए मफजूल की तकलीद जायज़ है, सिवा उसके मुतअल्लिक हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब की इबारत पेश की जा चुकी है, पहली बात इस तरह रद्द की गई है कि तकलीद के सही होने में बिलइजमा यह इतिकाद रखना जरूरी नहीं है कि (मेरा) इमाम बाकी तमाम अइम्मा पर मुतलकन फजीलत रखता है इसलिए कि सहाबा और ताबेईन यह अकीदा रखते थे कि तमाम उम्मत में अफजल हज़रत अबु बकर है और फिर हज़रत उमर हालांकि बहुत से मसाइल इख्तिलाफिया में उन दोनों हजरात के मुखालिफ दुसरे हज़रात की तकलीद किया करते थे और किसी ने उनपर इंकार नहीं किया, लिहाज़ा यह मसअला इजमाई हुआ। (अकदुल मजीद पेज 72)

दूसरी बात यह है कि सहाबा-ए-कराम की तकलीद इसलिए हरगिज़ नहीं छोड़ी गई कि वह अफज़ल उम्मत न थे बल्कि उनकी तकलीद

इसलिए छोड़ी गई है कि उनके जुम्ला मसाइल मुजतहिद फीहा मुदौव्विन नहीं थे, बखिलाफ अइम्मा अरबा के, उनके तमाम मसाइल मुदौव्विन हैं और आसानी से मिल सकते हैं और उनपर अमल करना आसान है। हदीस की मशहूर व मारूफ किताबें सहाबा-ए-कराम ने नहीं लिखी हैं बल्कि अइम्मा अरबा के बाद मुहद्दिसीन ने लिखी हैं जिनको पूरी उम्मते मुस्लिमा ने कबूल किया है, इसी तरह अइम्मा अरबा की क़ुरान व हदीस फहमी को उम्मते मुस्लिमा ने तसलीम किया है।

छठा एतेराज़- अइम्मा मुजतहेदीन खुद अपनी तकलीद से मना किया थे फिर उनकी तकलीद किस तरह जायज़ होगी और इसी तरह फुकहा लोगों को इससे रोकते थे। इस शुबहा के दो जवाब दिए जा सकते हैं।

पहला जवाब- यह कहना कि अइम्मा मुजतहेदीन खुद अपनी तकलीद से मना किया करते थे सही नहीं है क्योंकि अइम्मा कराम लोगों को जो फतवा दिया करते थे उनके फतवों में दलायल तफसील से मज़कूर नहीं होते थे, इससे साफ ज़ाहिर है कि अमली तौर पर तकलीद को जायज़s रखते थे, इसी तरह फुकहा-ए-कराम से भी अमली तौर पर तकलीद साबित है। अगर इमाम मुजतहिद किसी शख्स के सवाल का जवाब देता है तो इमाम मुजतहिद का मकसद वाजेह है कि उसने क़ुरान व हदीस की रौशनी में यह जवाब दिया है, लिहाज़ा उसपर अमल करो।

दुसरा जवाब- बाज़ अइम्मा मुजतहेदीन ने जहां पर तकलीद से मना किया है वह उन लोगों को मना किया है जो खुद दरजा इजतिहाद तक पहुंचे हुए थे, इमाम शुरानी फरमाते हैं, “तकलीद की ममानिअत

उस शख्स के लिए है जो पूरे तौर पर मुजतहिद हो वरना उलमा तसरीह करते हैं कि गैर मुजतहिद पर तकलीद वाजिब है, ताकि वह अपने दीन में गुमराह न हो और फुकहा ने भी तकलीद मजमूम और गैर मशरू से मना किया है न कि तकलीद महमूद व मशरू से। (मीज़ान अल कुबरा, मतबूआ मिश्र पेज 80, जिल्द 1) साहबुल यवाकीत वल ज़वाहिर फरमाते हैं कि तकलीद की ममानिअत मुजतहिद के लिए है वरना गैर मुजतहिद पर एक इमाम की तकलीद वाजिब है, वरना वह बरबाद व गुमराह हो जाएगा। (अल यवाकीत पेज 69, जिल्द 2)

सातवां एतेराज़- गैर मुकल्लिदीन हज़रात तकलीद की ज़रूरत का इंकार करते हुए फरमाते हैं कि कुरान व हदीस आसान है इसलिए उनसे अहकाम के समझने में किसी के वास्ता की मुतलक ज़रूरत नहीं, चूनांचे कुरान (सूरह कमर 23) में है "और बिला शुबहा हमने कुरान को नसीहत के लिए आसान बना दिया है, क्योंकि कोई नसीहत पकड़ने वाला है।

जवाब- इस आयत के अल्फाज़ पर गौर फरमाए तो साफ मालूम हो जाएगा कि कुरान की वह आयात आसान हैं जो वाज़ व तज़कीर और नसीहत व इबरत के मज़ामीन पर मुश्तमिल हैं यही वजह है कि अल्लाह तआला ने "लिज़ जिक्र" का लफ्ज इस्तेमाल किया है यानी कुरान नसीहत के लिए आसान किया गया है। रहीं वह आयात जो अहकाम पर मुशतमिल हैं सो उनका दकीक होना बिल्कुल ज़ाहिर है, चूनांचे हदीस में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है "कुरान सात हरूफ पर नाजिल किया गया है, उन में से हर एक आयत के एक ज़ाहिरी मानी हैं और एक बातनी और हर हद के लिए

इत्तिला का तरीका अलग अलग है (यानी ज़ाहिरी के लिए अरबी ज़बान और बातनी के लिए कुव्वते फहम)। (सही इबने हब्बान, तिबरानी) सिर्फ क़ुरान करीम का उर्दू तर्जुमा पढ़ कर इंसान उलूम क़ुरान व सुन्नत का माहिर नहीं बन जाता कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में फ़ुक़हा व उलमा व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन के बयान करदा अहकाम व मसाइल को गलत करार देने लगे जैसा कि इन दिनों बाज हजरात कर रहे हैं।

आठवां एतेराज़- गैर मुकल्लिदीन हज़रात एतेराज़ करते हैं कि मुकल्लेदीन जहां कहीं अपने इमाम के कौल को हदीस के खिलाफ भी पाते हैं वहां भी वह हदीस के मुकाबला में इस कौलल को नहीं छोड़ते हालां कि खुद उनके इमाम अबू हनीफा का कौल है "यानी जहां कहीं मेरे कौल को ख्बर रसूल के खिलाफ पाओ उसको छोड़ दो।

जवाब-किसी भी मसअला में इमाम का कौल मौजूद हो या न हो हूकूमे नबवी के खिलाफ करना एक मुस्लान से कतअन बईद है। जो शख्स रसूल को बरहक जानता हो क्या वह एसा कर सकता है और इस किसम की जुरअत उससे मुमकिन है कि जैद व उमर के एसे कौल पर जिसको फरमान नबवी के खिलाफ जानता हो अमल करे और उसके मुकाबला में कौले मासूम को छोड़ दे, मुसलमानों पर तो लाजिम व ज़रूरी है की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का हुकुम मानें और इसी पर आमिल हों और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुकाबला में किसी की भी बात न माने। रही यह बात कि मुकल्लिदीन एसा वैसा करते हैं, सो यह गैर मुकल्लिदीन का बुहतान अजीम है। हज़रत इमाम अबू हनीफा का यह फरमान इंतेहाई वुसअत नज़री और अल्लाह के खौफ की अलामत है

और उनके कहने का मकसद सिर्फ यह है कि मैं हमेशा क़ुरान व हदीस की रौशनी में ही अहकाम व मसाइल बयान करता हूं, लेकिन खुदा नख्वास्ता अगर कोई मेरा फैसला क़ुरान व हदीस के खिलाफ नज़र आए तो उसे छोड़ कर क़ुरान व हदीस पर अमल करना। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ यह नहीं है कि जो कुछ इस दौर के आलिमे दीन ने समझा है तो वह सबका सब सही है और इमाम अबू हनीफा ने जो भी समझा है वह सबका सब गलत है। उलमा अहनाफ और गैर मुकल्लेदीन हज़रात के दरमियान तमाम मुख्तलिफ फिह मसाइल में से किसी एक मसअला में भी गैर मुकल्लेदीन हज़रात ने अपनी राय को गलत और इमाम अबू हनीफा की राय को सही नहीं करार दिया है। गर्जकि उन हज़रात का इमाम अबूहनीफा का यह कौल जिक्र करने का मकसद सिर्फ यह बताना है कि इमाम अबू हनीफा गलत और हम सही हैं जो किसी भी हाल में काबिले कबूल नहीं है। यानी असरे हाजिर के गैर मुकल्लिद आलिम को अपनी क़ुरान व हदीस फहमी पर इतना यकीन है कि वह इस तरह की इबारत अपने लिए इस्तेमाल नहीं करता बल्कि 80 हिजरी में पैदा हुए मशहूर फकीह व मुहद्दिस के राय को बातिल करार देने और लोगों में इमाम अबू हनीफा से नफरत पैदा करने के लिए उनकी इस इबारत को जिक्र करता है। इकीसवी सदी के आलिम की राय को हक और 80 हिजरी में पैदा हुए इमाम अबू हनीफा और उलमा अहनाफ की क़ुरान व हदीस पर मबनी राय को बातिल करार देना उम्मते मुस्लिमा में फितना बर्पा करने के मुतरादिफ है और क़ुरान के इलान के मुताबिक फितना परवरी किसी को नाहक कतल करने से भी बड़ा गुनाह है।

एक शुबहा का इजाला- बाज़ गैर मुकल्लिदीन हज़रात फिकहा से नफरत करते हैं और कहते हैं कि फिकहा लोगों ने अपनी तरफ से बना लिया है जो क़ुरान व हदीस के खिलाफ है और अइम्मा मुजतहेदीन को बुरा भला कहते हैं, उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। यह बात उनकी गलत और जिहालत पर मबनी है। अइम्मा मुजतहेदीन क़ुरान व हदीस पर ही अमल करते हैं और क़ुरान व हदीस से ही मसाइल का इस्तिंबात करते हैं। मसलन रमज़ान केरोज़े की हालत में जानबुझ कर सोहबत करने से कफ्फारा वाजिब होता है जिसकी वज़ाहत अहादीस नबविया में मज़कूर है लेकिन अगर कोई शख्स भुल कर या बेगैर किसी उज्र के रमज़ान के रोजे की हालत में कुछ खा पी कर रोजा तोड़ दे तो उसका हुकुम क़ुरान व हदीस में मौजूद नहीं है लेकिन उलमा ने सोहबत पर कयास करके कुछ खा पी कर रोज़ा तोड़ने वाले पर भी कफ्फारा वाजिब होने का फैसला फरमाया है। इसी का नाम फिकहा है। गर्जकि क़ुरान व हदीस का समझना फिकहा कहलाता है। फिकहा को समझने से पहले इमाम अबू हनीफा के एक अहम असूल व ज़वाबित को जेहन में रख कि मैं पहले किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल को इख्तियार करता हूं, जब कोई मसइाला किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल में नहीं मिलता तो सहाबा-ए-कराम के अकवाल व अमल को इख्तियार करता हूं। उसके बाद दुसरों के फतावा के साथ अपने इजतिहाद व कयास पर तवज्जा देता हूं। जब मसअला कयास व इजतिहाद पर आ जाता है तो फिर मैं अपने इजतिहाद को तरजीह देता हूं। यह हज़रत इमाम अबू हनीफा का अपना खुद बनाया हुआ असूल नही है बल्कि इस मशहूर हदीस की इत्तिबा है जिसमें रसूलुल्लल्लहु सल्लल्लाहु अलैहि

वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को वसीयत फरमाई थी। इसी तरह हज़रत इमाम अबू हनीफा का यह असूल है कि अगर मुझे किसी मसअला में कोई हदीस मिल जाए ख्वाह उसकी सनद में कोई कमजोरी भी हो तो मैं अपने इजतिहाद व कयास को छोड़ कर उसको कबूल करता हूं। कुरान व हदीस में बहुत सी जगहों पर फिकहा का जिक्र भी वज़ाहत के साथ मौजूद है। मशहूर हदीस की किताब (बुखारी, मुस्लिम, तिरमीजी, अबु दाउद, नसई, इबने माजा, तिबरानी, बैहकी, मसनद इबने हब्बान, मसनद अहमद वगैरह) की तालिफ से पहले ही इमाम अबू हनीफा के शाग्रिदों ने फिकहा हनफी को किताबों में मुरत्तब कर दिया था। अगर वाकई फिकहा काबिले रद्द है तो मज़कूरा हदीस के किताबों के मुसन्नेफों ने अपनी किताबों में फिकहा की तरदीद में कोई बाब क्यों नहीं बनाया? या कोई दूसरी मुस्तकिल किताब फिकहा की तरदीद में क्यों नहीं की? गर्जकि यह उन हज़रात की हठधरमी है वरना कुरान व हदीस को समझ को मसाइल का इस्तिंबात करना ही फिकहा कहलाता है, जिसे जम्हुर मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व उलमा उम्मत ने तसील किया है। फिकहा हनफी का यह खोसूसी इम्तियाज़ है कि साबका हुकुमतों (खास कर अब्बासिया व उसमानिया हुकुमत) का 80 फीसद कानून अदालत व फौजदारी फिकहा हनफी रहा है। यह कवानीन कुरान व हदीस की रौशनी में बनाए गए हैं।

खुलासा कलाम यह है कि उम्मते मुस्लिमा एक हज़ार साल से ज्यादा अरसों से चारों अइम्मा की तकलीद के मसअला पर मुत्तफक चली आ रही है। और चारें अइम्मा की तकलीद कुरान व हदीस की इत्तिबा ही है। फरूई मसाइल में उम्मते मुस्लिमा के इख्तिलाफात

को हक व बातिल की जंग की तरह लोगों के सामने पेश न किया जाए बल्कि चारों अइम्मा की क़ुरान व हदीस पर मबनी राय का पूरा इहतिराम किया जाए। इमाम हरम शैख अब्दुर रहमान अस सुदैस ने बर्रे सगीर की अहम इल्मी दरसगाह दारूल उलूम देवबन्द के सफर के दौरान फरमाया था कि उन फरूई मसाइल में इख्तिलाफ का हल न आज तक हुआ है और न बज़ाहिर होगा। सउदी अरब के साबिक बादशाह शाह अब्दुल्लाह ने न सिर्फ उम्मते मुस्लिमा के तमाम मकातिबे फिक्र को जोड़ने के लिए खोसूसी हिदायत जारी फरमायें बल्कि इसलाम और दुसरे मज़ाहिब के दरमियान भी इख्तिलाफात कम करने पर ज़ोड़ दिया और इस सिलसिला में उन्होंने लाखों रियाल खर्च करके बहुत सी जगहों पर काँफ्रेंसों का प्रोग्राम शुरू किया। लिहाज़ा हम अपनी सलाहियतें फरूई मसाइल में उम्मते मुस्लिमा को तकसीम करने में नहीं बल्कि उम्मत के दरमियान इत्तिहाद व इत्तिफाक पैदा करने में लगायें जो वक्त की अहम ज़रूरत है वरना इसलाम मुखालिफ ताकतें अपने मकसद में कामयाब होंगी। उम्मते मुस्लिमा के तकरीबन 95 फीसद को चारों अइम्मा की राय पर अमल करने दें जैसा कि अरसा दराज़ से चला आ रहा है क्योंकि चारों अइम्मा की तकलीद करना क़ुरान व हदीस की इत्तिबा ही है जैसा कि दलायल के साथ जिक्र किया गया।

इमाम अबू हनीफा
(80 हिजरी से 150 हिजरी) हयात और कारनामे

हज़रत इमाम हनीफा के मुख्तसर हालाते ज़िन्दगी

आपका इस्मे गिरामी नोमान और कुन्नियत अबू हनीफा है। आपकी विलादत 80 हिजरी में इराक़ के कूफा शहर में हुई। आप फारसी नस्ल थे। आपके वालिद का नाम साबित था और आपके दादा नोमान बिन मरज़बान काबुल के अअयान व अशराफ में बड़ी फहम व फिरासत के मालिक थे। आपके परदादा मरज़बान फारस के एक इलाक़े के हाकिम थे। आपके वालिद हज़रत साबित बचपन में ही हज़रत अली की खिदमत में लाए गए तो हज़रत अली ने आप और आपकी औलाद के लिए बरकत की दुआ फरमाई जो ऐसी क़बूल हुई कि इमाम अबू हनीफा जैसा अज़ीम मुहद्दिस व फक़ीह और खुदा तरस इंसान पैदा हुआ।

आपने ज़िन्दगी के इब्तिदाई दिनों में ज़रूरी इल्म की तहसील के बाद तिजारत शुरू की, लेकिन आपकी ज़ेहानत को देखते हुए इल्मे हदीस की मारूफ शख्सियत आमिर शाबी कूफी (17 हिजरी से 104 हिजरी) जिन्हें पांच सौ से ज़्यादा असहाबे रसूल की ज़ियारत का शरफ हासिल है ने आपको तिजारत छोड़ कर मज़ीद इल्मी कमाल हासिल करने का मशवरा दिया, चुनांचे आपने इमाम शाबी कूफी के मशवरे पर इल्मे कलाम, इल्मे हदीस और इल्मे फिक़ह की तरफ तवज्जोह फरमाई और ऐसा कमाल पैदा किया कि इल्मी व अमली दुनिया में इमाम आज़म कहलाए। आपने कूफा, बसरा और बगदाद के बेशुमार

शैखों से इल्मी इस्तिफादा करने के साथ हुसूले इल्म के लिए मक्का, मदीना और मुल्के शाम के बहुत से असफार किए।
एक वक़्त ऐसा आया कि अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने हज़रत इमाम अबू हनीफा को मुल्क के काज़ी होने का मशवरा दिया, लेकिन आपने माज़रत चाही तो वह अपने मशवरे पर इसरार करने लगा, चुनांचे आपने सराहतन इंकार कर दिया और क़सम खाली कि वह यह ओहदा क़बूल नहीं कर सकते जिसकी वजह से 146 हिजरी में आपको क़ैद कर दिया गया। इमाम साहब की इल्मी शोहरत की वजह से क़ैदखाना में भी तालीमी सिलसिला जारी रहा और इमाम मोहम्मद जैसे फक़ीह ने जेल में ही इमाम अबूहनीफा से तालीम हासिल की। इमाम अबू हनीफा की मक़बूलियत से खौफज़दा खलीफए वक़्त ने इमाम साहब को ज़हर दिलवा दिया। जब इमाम साहब को ज़हर का असर महसूस हुआ तो सज्दा किया और इसी हालत में वफात पा गए। तक़रीबन पचास हज़ार अफराद ने नमाज़े जनाजा पढ़ी, बगदाद के खैज़रान क़ब्रिस्तान में दफन किए गए। 375 हिजरी मैं इस क़ब्रिस्तान के क़रीब एक बड़ी मस्जिद "जामे अल इमामुल आज़म" तामीर की गई जो आज भी मौजूद है। गरज़ 150 हिजरी में सहाबा व बड़े बड़े ताबेईन से रिवायत करने वाला एक अज़ीम मुहद्दिस व फक़ीह दुनिया से रुखसत हो गया और इस तरह सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तआला के खौफ से काज़ी के ओहदे को क़बूल न करने वाले ने अपनी जान का नज़राना पेश कर दिया, ताकि खलीफए वक़्त अपनी मर्ज़ी के मुताबिक़ कोई फैसला न करा सके जिसकी वजह से मौलाए हक़ीक़ी नाराज़ हो।

हज़रत इमाम अबू हनीफा के बारे में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत

मुफस्सिरे क़ुरान शैख जलालुद्दीन सुयूती शाफई मिस्री (849 हिजरी से 911 हिजरी) ने अपनी किताब "तबयीज़ुस सहीफा फी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफा" में बुखारी व मुस्लिम और दूसरी हदीस की किताबों में वारिद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल "(अगर ईमान सुरय्या सितारे के क़रीब भी होगा तो अहले फारस में से बाज़ लोग उसको हासिल कर लेंगे। (बुखारी) अगर ईमान सुरय्या सितारे के पास भी होगा तो अहले फारस में से एक शख्स उसमें से अपना हिस्सा हासिल कर लेगा। (मुस्लिम) अगर इल्म सुरय्या सितारे पर भी होगा तो अहले फारस में से एक शख्स उसको हासिल कर लेगा। (तबरानी) अगर दीन सुरय्या सितारे पर भी मुअल्लक़ होगा तो अहले फारस में से कुछ लोग उसको हासिल कर लेंगे। (तबरानी)" ज़िक्र करने के बाद तहरीर फरमाया है कि मैं कहता हूं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम अबू हनीफा (शैख नोमान बिन साबित) के बारे में उन अहादीस में बशारत दी है और यह अहादीस इमाम साहब की बशारत व फज़ीलत के बारे में ऐसे सरीह हैं कि उनपर मुकम्मल एतेमाद किया जाता है। शैख इब्ने हजर अलहैसमी शाफई (909 हिजरी से 973 हिजरी) ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब "अलखैरातुल हिसान फी मनाक़िबि इमाम अबी हनीफा" में तहरीर किया है कि शैख जलालुद्दीन सूयुती के बाज़ तलामिज़ा ने फरमाया और जिस पर हमारे मशायख ने भी एतेमाद किया है कि उन अहादीस की मुराद बिला शुबहा इमाम अबू हनीफा

हैं, इस लिए कि अहले फारस में उनके मुआसरीन में से कोई भी इल्मे के उस दरजे को नहीं पहुंचा जिस पर इमाम साहब फायज़ थे।

(वज़ाहत) इन अहादीस की मुराद में इख्तिलाफे राय हो सकता है, मगर असरे क़दीम से असरे हाज़िर तक हर ज़माने के मुहद्दिसीन व फुक़हा व उलमा की एक जमाअत ने लिखा है कि इन अहादीस से मुराद हज़रत इमाम अबू हनीफा हैं। उलमाए शवाफे ने खास तौर पर इस क़ौल को मुदल्लल किया है जैसा कि शाफई मक्तबए फिक्र के दो मशहूर जय्यिद उलमा व मुफस्सिरे क़ुरान के अक़वाल ज़िक्र किए गए।

हज़रत इमाम अबू हनीफा के ताबइयत

हाफिज़ इब्ने हजर असक़लानी (फन्ने हदीस के इमाम शुमार किए जाते हैं) से जब इमाम अबू हनीफा के मुतअल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने फरमाया कि इमाम अबू हनीफा ने सहाबए किराम की एक जमाअत को पाया, इसलिए कि वह 80 हिजरी में कूफा में पैदा हुए और वहां सहाबए किराम में से हज़रत अब्दुल्लाह बिन औफी मौजूद थे, उनका इंतिक़ाल इसके बाद हुआ है। बसरा में हज़रत अनस बिन मालिक थे और उनका इंतिकाल 90 या 93 हिजरी में हुआ है। इब्ने साद ने अपनी सनद से बयान किया है कि इसमें कोई हर्ज नहीं कि कहा जाए कि इमाम अबू हनीफा ने हज़रत अनस बिन मालिक को देखा है और वह तबक़ए ताबेईन में से हैं, नीज़ हज़रत अनस बिन मालिक के अलावा भी इस शहर में दूसरे सहाबए किराम उस वक़्त हयात थे।

शैख मोहम्मद बिन यूसुफ दिमश्क़ी शाफई ने “उक़ूदुल जमान फी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफा” के नवें बाब में ज़िक्र किया है कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि इमाम अबू हनीफा उस ज़माने में पैदा हुए जिसमें सहाबए किराम की कसरत थी।
अक्सर मुहद्दिसीन (जिनमें इमाम खतीब बगदादी, अल्लामा नववी, अल्लामा इब्ने हजर, अल्लामा ज़हबी, अल्लामा ज़ैनुल आबेदीन सखावी, हाफिज़ अबू नईम असबहानी, इमाम दारे क़ुतनी, हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर और अल्लामा जौज़ी के नाम क़ाबिले ज़िक्र हैं) का यही फैसला है कि इमाम अबू हनीफा ने हज़रत अनस बिन मालिक को देखा है। मुहद्दिसीन व मुहक़्क़ेक़ीन की तशरीह के मुताबिक़ सहाबी के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करना ज़रूरी नहीं है बल्कि देखना भी काफी है। इसी तरह ताबई का मामला है कि ताबई कहलाने के लिए सहाबिए रसूल से रिवायत करना ज़रूरी नहीं है बल्कि सहाबी का देखना भी काफी है। इमाम अबू हनीफा तो सहाबए किराम की एक जमाअत को देखने के अलावा बाज़ सहाबा खास कर हज़रत अनस बिन मालिक से आहादीस रिवायत भी की हैं।
गरज़ ये कि हज़रत इमाम अबू हनीफा ताबई हैं और आपका ज़माना सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन का ज़माना है और यह वह ज़माना है जिस दौर की अमानत व दियानत और तक़वा का ज़िक्र अल्लाह तआला ने क़ुरान करीम (सूरह तौबा आयत 100) में फरमाया है। नीज़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक़ यह बेहतरीन ज़मानों में से एक है। इसके अलावा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात में ही हज़रत

इमाम अबू हनीफा के मुतअल्लिक़ बशारत दी थी जैसा कि बयान किया जा चुका जिससे हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफा की ताबईयत और फज़ीलत रोज़े रौशन की तरह वाज़ेह हो जाती है।

सहाबए किराम से हज़रत इमाम अबू हनीफा की रिवायात

इमाम अबू माशर अब्दुल करीम बिन अब्दुस समद मुक़री शाफई ने एक रिसाला तहरीर फरमाया है जिसमें उन्होंने इमाम अबू हनीफा की मुख्तलिफ सहाबए किराम से रिवायात नक़ल की है:

(1) हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु।

(2) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जज़ाउज़ ज़ुबैदी रज़ियल्लाहु अन्हु।

(3) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु।

(4) हज़रत मअक़िल बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु।

(5) हज़रत वासिला बिन असक़ा रज़ियल्लाहु अन्हु।

(6) हज़रत आइशा बिन्त उज्र रज़ियल्लाहु अन्हा।

(वज़ाहत) मुहद्दिसीन की एक जमाअत ने 8 सहाबा से इमाम अबू हनीफा का रिवायत करना साबित किया है, अलबत्ता बाज़ मुहद्दिसीन ने इससे इख्तिलाफ किया है, मगर इमाम अबू हनीफा के ताबई होने पर जमहूर मुहद्दिसीन का इत्तिफाक़ है।

फुक़हा व मुहद्दिसीन की बस्ती शहर कूफा

हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में मुल्के इराक़ फतह होने के बाद हज़रत साद बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की इजाज़त से 17 हिजरी में कूफा शहर बसाया, क़बाइले अरब में से फुसहा को आबाद

किया गया। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु जैसे जलीलुल क़दर सहाबी को वहां भेजा ताकि वह क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में लोगों की रहनुमाई फरमाएं। सहाबए किराम के दरमियान हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की इल्मी हैसियत मुसल्लम थी, खुद सहाबए किराम भी मसाइले शरइया में उनसे रुजू फरमाते थे। उनके मुतअल्लिक़ हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हदीस की किताबों में मौजूद हैं।

इब्ने उम्मे अब्द (यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु) के तरीक़ को लाज़िम पकड़ो। जो क़ुरान पाक को उस अंदाज में पढ़ना चाहे जैसा नाज़िल हुआ था तो उसको चाहिए कि इब्ने उम्मे अब्द (यानी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु) की क़िरात के मुताबिक़ पढ़े। हज़रत उमर फारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में फरमाया कि वह इल्म से भरा हुआ एक ज़र्फ़ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फारूक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा के अहदे खिलाफत में अहले कूफा को क़ुरान व सुन्नत की तालीम दी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के अहदे खिलाफत में जब दारुल खिलाफत कूफा मुंतक़िल कर दिया गया तो कूफा इल्म का गहवारा बन गया। सहाबए किराम और ताबईन की एक जमाअत खास कर हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके शागिर्दों ने इस बस्ती को इल्म व अमल से भर दिया। सहाबए किराम के दरमियान फक़ीह की हैसियत रखने वाले हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु का इल्मी वरसा

हज़रत इमाम अबू हनीफा के मशहूर उस्ताज़ शैख हम्माद और मशहूर ताबेईन शैख इब्राहीम नखई व शैख अल्क़मा के ज़रिये इमाम अबू हनीफा तक पहुंचा। शैख हम्माद सहाबिए रसूल हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के भी सबसे क़रीब और मोतमद शागिर्द हैं। शैख हम्माद की सोहबत में इमाम अूबहनीफा 18 साल रहे और शैख हम्माद के इंतिकाल के बाद कूफा में उनकी मसनद पर इमाम अबू हनीफा को ही बैठाया गया। गरज़ ये कि इमाम अबू हनीफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के इल्मी वरसा के वारिस बने, इसी लिए हज़रत इमाम अबू हनीफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात और उनके फैसले को तरजीह देते हैं, मसलन अहादीस की किताबों में वारिद हज़रत अुब्ल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायात की बिना पर हज़रत इमाम अबू हनीफा ने नमाज़ में रूकसे पहले और बाद में रफे यदैन न करने को राजेह क़रार दिया है। हज़रत इमाम अबू हनीफा का इसमे गिरामी नोमान बिन साबित कुन्नियत अबू हनीफा है।

हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के अहदे खिलाफत में तदवीन हदीस और इमाम अबू हनीफा

खलीफा हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के खास इहतिमाम से वक़्त के दो जय्यिद मुहद्दिस शैख अबू बकर बिन अलहज़्म और मोहम्मद बिन शहाब ज़ोहरी की ज़ेरे निगरानी अहादीसे रसूल को किताबी शकल में जमा किया गया। अब तक यह अहादीस मुंतशिर हालतों में ज़बानों और सीनों में महफूज़ चली आ रही थीं। इस्लामी तारीख में इन्ही दोनों मुहद्दिस को हदीस का मुदव्विने अव्वल कहा जाता है।

हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयाते तय्यिबा में उमूमी तौर पर अहादीस लिखने से मना फरमा दिया था ताकि कुरान व हदीस एक दूसरे से मिल न जाएं, अलबत्ता बाज़ फुक़हा सहाबा (जिन्हें कुरान व हदीस की इबारतों के दरमियान फर्क़ मालूम था) को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाते तय्यिबा में भी अहादीस लिखने की महदूद इजाज़त थी। खुलफाए राशिदीन के अहद में जब कुरान करीम तदवीन के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़र कर एक किताबी शकल में उम्मते मुस्लिमा के हर फर्द के पास पहुंच गया तो ज़रूरत थी कि कुरान करीम के सबसे पहले पहले मुफस्सिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को भी मुदव्वन किया जाए, चुनांचे अहादीसे रसूल का मुकम्मल ज़खीरा जो मुंतशिर औराक़ और जबानों पर जारी था इंतिहाई एहतियात के साथ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की अहदे खिलाफत में मुरत्तब किया गया। अहादीसे नबविया के उस ज़खीरे की सनद में उमूमन दो रावी थे एक सहाबी और ताबेई। इन अहादीस के ज़खीरे में ज़ईफ या मौज़ू होने का एहतेमाल भी नहीं था। नीज़ यह वह मुबारक दौर था जिसमें असमाउर रिजाल के इल्म का वजूद भी नहीं आया था और न उसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हदीसे रसूल बयान करने वाले सहाबए किराम और ताबईन इज़ाम या फिर तबे ताबईन हज़रात थे और उनकी अमानत व दियानत और तक़वा का ज़िक्र अल्लाह तआला ने कुरान करीम (सूरह तौबा 100) में फरमाया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफा को इन्हीं अहादीस का ज़खीरा मिला थे, चुनांचे उन्होंने कुरान करीम और अहादीस के इस ज़खीरे से इस्तिफादा फरमा के उम्मते मुस्लिमा को इस तरह मसाइले शरइया

से वाक़िफ कराया कि 1300 साल गुज़र जाने के बाद भी तक़रीबन 75 फीसद उम्मते मुस्लिमा उसपर अमल पैरा है और एक हज़ार साल से उम्मते मुस्लिमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा की तफसीर व तशरीह और वज़ाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। इमाम अबू हनीफा को अहादीसे रसूल सिर्फ दो वास्तों (सहाबी और ताबई) से मिली हैं, बल्कि बाज़ अहादीस इमाम अूब हनीफा ने सहाबए किराम से बराहे रास्त भी रिवायत की हैं। दो वास्तों से मिली अहादीस को अहादीस सुनाई कहा जाता है जो सनद के एतेबार से हदीस की आला क़िस्म शुमार होती है। बुखारी और दूसरी हदीस की किताबों में दो वास्तों की कोई भी हदीस मौजूद नहीं है। तीन वास्तों वाली यानी अहादीसे सुलासियात बुखारी में सिर्फ 22 हैं, उनमें से 20 अहादीस इमाम बुखारी ने इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों से रिवायत की हैं।

80 हिजरी से 150 हिजरी तक इस्लामी हुकूमत और हज़रत इमाम अबू हनीफा

इमाम अबू हनीफा की विलादत 80 हिजरी में उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के दौरे हुकूमत में हुई, जिसका इंतिकाल 86 हिजरी में हुआ, उसके बाद उसका बेटा वलीद बिन अब्दुल मलिक तख्त नशीन हुआ। 10 साल हुकुमरानी के बाद 96 हिजरी में उसका भी इंतिकाल हो गया फिर उसका भाई सुलैमान बिन अब्दुल मलिक जानशीन बना। 3 साल की हुकुमरानी के बाद 99 हिजरी में यह भी रुखसत हुआ, लेकिन सुलैमान बिन अब्दुल मलिक ने अपनी वफात से पहले हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को अपना जानशीन मुक़र्रर

करके ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसको तारीख कभी नहीं भुला सकती। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का दौरे खिलाफत (99 हिजरी से 101 हिजरी) अगरचे निहायत मुख्तसर रहा मगर खिलाफते राशिदा का ज़माना लोगों को याद आ गया, हत्ताकि रिआया में उनका लक़ब खलीफए खामिस (पांचवां खलीफा) क़रार पाया। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौरे खिलाफत में इमाम अबू हनीफा की उम्र (19-21) साल थी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के कारनामों में एक अहम कारनामा तदवीने हदीस है जिसकी तदवीन का मुख्तसर बयान गुज़र चुका, गरज़ ये कि तदवीने हदीस का अहम दौर इमाम अबू हनीफा ने अपनी आंखों से देखा है। इमाम अबू हनीफा ने इस्लामी दौर की दो बड़ी हुकूमतों (बनू उमय्या और बनू अब्बास) को पाया। खिलाफते बनू उमय्या के आखिरी दौर में हज़रत इमाम अबू हनीफा का हुकुमरानों से इख्तिलाफ हो गया था जिसकी वजह से आप मक्का चले गए और वहीं सात साल रहे। खिलाफते बनू अब्बास के क़याम के बाद आप फिर कूफा तशरीफ ले आए, अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर हुकूमत की मज़बूती के लिये इमाम अबू हनीफा की ताईद चाहता था जिस के लिये उसने मुल्क का खास ओहदा पेश किया मगर आपने हुकूमती मामलात में दखल अंदाज़ी से माज़रत चाही, क्योंकि हुकुमरानों के अगराज़ व मक़ासिद से इमाम अबू हनीफा अच्छी तरह वाक़िफ थे, इसी वजह से 146 हिजरी में आपको जेल में क़ैद कर दिया गया, लेकिन जेल में भी आपकी मक़बूलियत में कमी नहीं आई और वहां भी आपने क़ुरान व हदीस और फिक़ह की तालीम जारी रखी, चुनांचे इमाम मोहम्मद ने जेल में ही आपसे तालीम हासिल की। हुकुमरानों ने इसपर ही बस

नहीं किया बल्कि रोज़ाना 20 कोड़ों की सजा भी मुक़र्रर की (खतीब अलबगदादी जिल्द 13 पेज 328)। 150 हिजरी में इमाम साहब दारे फानी से दारे बक़ा की तरफ कूच कर गए। इमाम अहमद बिन हमबल इमाम अबू हनीफा के आज़माइशी दौर को याद करके रोया करते थे और उनके लिए दुआये मगफिरत किया करते थे। (अलखैरातुल हिसान जिल्द 1 पेज 59)

हज़रत इमाम अबू हनीफा और इल्मे हदीस

इमाम अबू हनीफा से अहादीस की रिवायत हदीस की किताबो में कसरत से न होने की वजह से बाज़ लोगों ने यह तअस्सुर पेश किया है कि इमाम अबू हनीफा की इल्मे हदीस में महारत कम थी, हालांकि गौर करें कि जिस शख्स ने सिर्फ बीस साल की उम्र में इल्मे हदीस पर तवज्जोह दी हो, जिसने सहाबा, ताबईन और तबे ताबईन का बेहतरीन ज़माना पाया हो, जिसने सिर्फ एक या दो वास्तों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सुनी हो, जिसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे जलीलुल क़दर फक़ीह सहाबी के शागिर्दों से 18 साल तरबियत हासिल की हो, जिसने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ का अहदे खिलाफत पाया हो जो तदवीने हदीस का सुनहरा दौर रहा है, जिसने कूफा, बसरा, बगदाद, मक्का मदीना और मुल्के शाम के ऐसे असातज़ा से अहादीस पढ़ी हो जो अपने ज़माने के बड़े बड़े मुहद्दिस रहे हों, जिसने कुरान व हदीस की रौशनी में हज़ारों मसाइल का इस्तिम्बात किया हो, कुरान व हदीस की रौशनी में किए गए जिसके फैसले को हज़ार साल के अरसे सेज़्यादा उम्मते मुस्लिमा नीज़ बड़े बड़े उलमा व मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन

तसलीम करते चले आए हों, जिसने फ़िक़्ह की तदवीन में अहम रोल अदा किया हो, जो सहाबिए रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन समूद का इल्मी वारिस बना हो, जिसने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद जैसे फ़ुक़हा सहाबा के शागिर्दों से इलमी इस्तिफादा किया हो, जिसके तलामजा बड़े बड़े मुहद्दिस, फक़ीह और इमामे वक़्त बने हों तो उसके मुतअल्लिक़ ऐसा तअस्सुर पेश करना सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ व इनाद और इल्म की कमी का नतीजा है। यह ऐसा ही है कि कोई शख्स हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत उसमान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के मुतअल्लिक़ कहे कि उनको इल्मे हदीस से मारेफत कम थी, क्योंकि उनसे गिन्ती के चंद अहादीस हदीस की किताबों में मरवी हैं, हालांकि उन हज़रात का कसरते रिवायत से इजतिनाब दूसरे असबाब की वजह से था जिसकी तफसीलात किताबों में मौजूद हैं। गरज़ ये कि इमाम अबू हनीफा फक़ीह होने के साथ साथ अज़ीम मुहद्दिस भी थे।

हज़रत इमाम अबू हनीफा और हदीस की मशहूर किताबे

अहादीस की मशहूर किताबें (बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, तबरानी, बैहक़ी, मुसनद अहमद, मुसनद इब्ने हिब्बान, मुसनद अहमद बिन हमबल वगैरह) इमाम अबू हनीफा की वफात के तक़रीबन 150 साल बाद लिखी गई हैं। इन मज़कूरा किताबों के मुसन्निफीन इमाम अबू हनीफा की हयात में मौजूद ही नहीं थे, उनमें से अक्सर इमाम अबू हनीफा के शगिर्दों के शगिर्द हैं। मशहूर हदीस की किताबों की तसनीफ से पहले ही इमाम अबू हनीफा

के मशहूर शगिर्द (क़ाजी अबू युसूफ और इमाम मोहम्मद) ने इमाम अबू हनीफा के हदीस और फिकहा के दुरूस को किताबी शकल में मुरत्तब कर दिया था जो आज भी दस्तयाब हैं। मशहूर हदीस की किताबों में उमूमन चार या पांच या छ वास्तों से अहादीस ज़िक्र की गई हैं जबकि इमाम अबू हनीफा के पास अक्सर अहादीस सिर्फ दो वास्तों से आई थीं, इस लिहाज़ से इमाम अबू हनीफा को जो अहादीस मिली हैं वह असहहुल असानीद के अलावा अहादीसे सहीहा, मरफ़ू, मशहूर और मुतवातिर का मक़ाम रखती हैं। गरज़ ये कि जिन अहादीस की बुनियाद पर फिक़ह हनफी मुरत्तब किया गया वह उमूमन सनद के एतेबार से आला दरजे की अहादीस हैं।

हज़रत इमाम अबू हनीफा के असातज़ा

इमाम अबू हनीफा ने तक़रीबन चार हज़ार मशायेख से इल्म हासिल किया, खुद इमाम हनीफा का क़ौल है कि मैंने कूफा बसरा का कोई ऐसा मुहद्दिस नहीं छोड़ा जिससे मैंने इल्मी इस्तिफादा न किया हो। तफसीलात के लिए सवानेह इमाम अबू हनीफा का मुतालआ करें, इमाम अबू हनीफा के चंद अहम असातज़ा हसबे जैल हैं:

शैख हम्माद बिन अबी सुलैमान (वफात 120 हिजरी) शहर कूफा के इमाम व फक़ीह शैख हम्माद हज़रत अनस बिन मालिक के सबसे क़रीब और मोतमद शगिर्द हैं, इमाम अबू हनीफा उनकी सोहबत में 18 साल रहे। 120 हिजरी में शैख हम्माद के इंतिक़ाल के बाद इमाम अबू हनीफा ही उनकी मसनद पर फायज़ हुए। शैख हम्माद मशहूर व मारूफ मुहद्दिस व ताबई शैख इब्राहीम नखई के भी खुसूसी

शगिर्द हैं। इसके अलावा शैख हम्माद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के इल्मी वारिस और नाइब भी शुमार किए जाते हैं।
इमाम अबू हनीफा की दूसरी बड़ी दरसगाह शहर बसरा थी जो इमामुल मुहद्दिसीन शैख हसन बसरी (वफात 110 हिजरी) के उलूमे हदीस से मालामाल थी, यहां भी इमाम अबू हनीफा ने इल्मे हदीस का भरपूर हिस्सा पाया।
शैख अता बिन अबी रबाह (वफात 114 हिजरी) मक्का में मुक़ीम शैख अता बिन अबी रबाह से भी इमाम अबू हनीफा ने भरपूर इस्तिफादा किया। शैख अता बिन अबी रबाह ने बेशुमार सहाबए किराम खास कर हज़रत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस्तिफादा कया था। शैख अता बिन अबी रबाह सहाबिए रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खुसूसी शगिर्द शुमार किए जाते हैं।
शैख इकरमा बरबरी (वफात 104 हिजरी) यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खुसूसी शगिर्द हैं। कम व बेश 70 मशहूर ताबईन इनके शगिर्द हैं, इमाम अबू हनीफा भी उनमें शामिल हैं। मक्का में इमाम अबू हनीफा ने इनसे इल्मी इस्तिफादा किया।
मदीना के सात फुक़हा में से हज़रत सुलैमान और हज़रत सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर से इमाम अबू हनीफा ने अहादीस की सिमाअत की है। यह सातों फुक़हा मशहूर व मारूफ ताबईन थे। हज़रत सुलैमान उम्मुल मोमेनीन हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा के परवरदा गुलाम हैं, जबकि हज़रत सालिम हज़रत उमर फारूक़

रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते हैं जिन्होंने अपने वालिद सहाबिए रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से तालीम हासिल की थी।
मुल्के शाम में इमाम औज़ाई और इमाम मकहूल से भी इमाम अबू हनीफा ने इल्म हासिल किया।
दूसरे मुहद्दिसीन के तर्ज़ पर इमाम अबू हनीफा ने अहादीस की सिमाअत के लिए हज के असफार का भरपूर इस्तिमाल किया, चुनांचे आपने तक़रीबन 55 हज अदा किए। हज की अदाएगी से पहले और बाद में मक्का और मदीना में क़याम फरमा कर क़ुरान व सुन्नत को समझने और समझाने में वाफिर वक़्त लगाया। बनू उमय्या के आखिरी अहद में जब इमाम अबू हनीफा का हुकुमरानों से इख्तिलाफ हो गया था तो इमाम अबू हनीफा ने तक़रीबन 7 साल मक्का में मुक़ीम रह कर तालीम व तअल्लुम के सिलसिले को जारी रखा।

हज़रत इमाम अबू हनीफा के शगिर्द

सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसन्निफे अव्वल “अल्लामा शिबली नोमानी” ने अपनी मशहूर व मारूफ किताब “सीरतुन नोमान” में लिखा है कि इमाम अबू हनीफा के दर्स का हल्क़ा इतना कुशादा था कि खलीफए वक़्त की हुदूदे हुकूमत इससे ज़्यादा कुशादा न थीं। सैंकड़ों उलमा व मुहद्दिसीन ने इमाम अबू हनीफा से इल्मी इस्तिफादा किया। इमाम शाफई फरमाया करते थे कि जो शख्स इल्मे फिक़ह में कमाल हासिल करना चाहे उसको इमाम अबू हनीफा के फिक़ह की तरफ रुख करना चाहिए और यह भी फरमाया कि अगर इमाम मोहम्मद (इमाम अबू हनीफा के शगिर्द) मुझे न मिलते तो शाफई, शाफई न होता बल्कि कुछ और होता।

इमाम अबू हनीफा के चंद मशहूर शागिर्दों के नाम हसबे ज़ैल हैं जिन्होंने अपने उस्ताद के मसलक के मुताबिक़ दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा। क़ाज़ी अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद बिन हसन अश शैबानी, इमाम ज़ुफर बिन हुज़ैल, इमाम यहया बिन सईद अलक़त्तान, इमाम यहया बिन ज़करिया, मुहद्दिस अब्दुल्लाह बिन मुबारक, इमाम वकी बिन जर्राह और इमाम दाऊद ताई वगैरह।

क़ाज़ी अबू युसूफ (वफात 182 हिजरी) आपका नाम याक़ूब बिन इब्राहीम अंसारी है। 113 हिजरी या 117 हिजरी में कूफा में पेदा हुए। इमाम अबू युसूफ को मआशी तंगी की वजह से तालीमी सिलसिला जारी रखना मुश्किल हो गया था मगर इमाम अबू हनीफा ने इमाम युसूफ और उनके घर के तमाम अखराजात बर्दाशत करके उनको तालीम दी। ज़िहानत, तालीमी शौक़ और इमाम अबू हनीफा की खुसूसी तवज्जोह की वजह से क़ाज़ी अबू युसूफ एक बड़े मुहद्दिस व फक़ीह बन कर सामने आए। फिकह हनफी की तदवीन में क़ाज़ी अबू युसूफ का अहम किरदार है। अब्बासी दौरे हुकूमत में काज़ियुल कुज़ात के ओहदे पर फायज़ हुए। यह पहला मौक़ा था जब किसी को काज़ियुल कुज़ात के ओहदे पर फायज़ किया गया। इमाम अबू हनीफा से बाज़ मसाइल में इख्तिलाफ भी किया, लेकिन पूरी ज़िन्दगी खास कर काज़ियुल कुज़ात के ओहदे पर फायज़ होने के बाद फिक़ह हनफी को ही फैलाया। मसलके इमाम अबू हनीफा पर उसूले फिकह की सबसे पहली किताब तहरीर फरमाई। 182 हिजरी वफात पाई।

इमाम मोहम्मद बिन हसन अश शैबानी (वफात 189 हिजरी) आप 131 हिजरी में दमिशक़ में पैदा हुए फिर फुक़हा व मुहद्दिसीन के शहर कूफा चले गए, वहां बड़े बड़े मुहद्दिसीन और फुक़हा की सोहबत

पाई। इमाम अबू हनीफा से तक़रीबन दो साल जेल में तालीम हासिल की। इमाम अबू हनीफा की वफात के बाद क़ाज़ी अबू युसूफ से तालीम मुकम्मल की, फिर मदीना जा कर इमाम मालिक से हदीस पढ़ी। सिर्फ बीस साल की उम्र में मसनदे हदीस पर बैठ गए। यह फिकह हनफी के दूसरे अहम बाज़ू शुमार किए जाते हैं, इसी लिए इमाम अबू युसूफ और इमाम मोहम्मद को सहिबैन कहा जाता है। इमाम मोहम्मद के बेशुमार शगिर्द हैं, लेकिन इमाम शाफई का नाम खास तौर पर ज़िक्र किया जाता है। इमाम मोहम्मद की हदीस की मशहूर किताब "मुअत्ता इमाम मोहम्मद" आज भी हर जगह मौजूद है। इमाम मोहम्मद की तसनीफात बहुत हैं, फिकह हनफी का मदार इन्हीं किताबों पर है, इनकी दर्जे ज़ैल किताबें मशहूर व मारूफ हैं जो फतावा हनफिया का माखज़ हैं।

अलमबसूत, अलजामेउस सगीर, अलजामेउस कबीर, अज़ ज़ियादात, अस सियरुस सगीर, अस सियरुल कबीर।

इमाम ज़ुफर (वफात 158 हिजरी) इमाम ज़ुफर बिन हुज़ैल 110 हिजरी में पैदा हुए। इब्तिदाई उम्र में इल्मे हदीस से खास शगफ व तअल्लुक़ था, अल्लामा नववी ने इनको साहिबुल हदीस में शुमार किया है, फिर इल्मे फिकह की जानिब तवज्जोह की और आखिर उम्र तक यही मशगला रहा। बसरा के क़ाज़ी के हैसियत से भी रहे। आप हज़रत इमाम अबू हनीफा के खास शागिर्दों में से हैं। आप फिक़ह हनफी के अहम सुतून हैं।

इमाम यहया बिन सईद अलक़त्तान (वफात 198 हिजरी) आप 120 हिजरी में पैदा हुए। अल्लामा ज़हबी ने लिखा है कि फन अस्माउर रिजाल (सनदे हदीस पर बहस का इल्म) सबसे पहले उन्होंने ही शुरू

किया है, फिर उसके बाद दूसरे हज़रात मसलन इमाम यहया बिन मईन ने इस इल्म को बाक़ायदा फन की शकल दी। इमाम यहया बिन सईद अलकत्तान ने हज़रत इमाम अबू हनीफा से इल्मी इस्तिफादा किया है।

इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक (वफात 181 हिजरी) यह भी इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से हैं। इल्मे हदीस में बड़ी महारत हासिल की, यहां तक कि अमिरुल मोमिनीन फिल हदीस का लक़ब मिला। 118 हिजरी में पैदा हुए और 181 हिजरी में वफात पाई। इमाम अब्दुल्लाह बिन मुबारक का क़ौल है कि अगर अल्लाह तआला इमाम अबू हनीफा और सुफयान सौरी के ज़रिये मेरी मदद न फरमाता तो मैं एक आम इंसान से बढ़ कर कुछ न होता।

तदवीने फिक़ह

असरे क़दीम व जदीद में इल्मे फिक़ह की मुख्तलिफ अल्फाज़ के साथ तारीफ की गई है, मगर उनका खुलासए कलाम यह है कि क़ुरान व हदीस की रौशनी में अहकामे शरइया का जानना फिक़ह कहलाता है। अहकामे शरइया के जानने के लिए सबसे पहले क़ुरान करीम और फिर अहादीस की तरफ रुजू किया जाता है। क़ुरान व हदीस में किसी मसअले की वज़ाहत न मिलने पर इजमा व क़यास (यानी क़ुरान व हदीस की रौशनी में नए मसाइल के लिए इजतेहाद) की तरफ रुजू किया जाता है।

फिक़ह को समझने से पहले इमाम अबू हनीफा के एक अहम उसूल व ज़ाबते को ज़ेहन में रखें कि मैं पहले किताबुल्लाह और सुन्नते नबवी को इख्तियार करता हूं, जब कोई मसअला किताबुल्लाह और सुन्नते रसूल में नहीं मिलता तो सहाबए किराम के अक़वाल व

अमल को इख्तियार करता हूं। उसके बाद दूसरों के फतावे के साथ अपने इजतिहाद व क़यास पर तवज्जोह देता हूं। जब मसअला क़यास और इजतिहाद पर आ जाता है तो फिर मैं अपने इजतिहाद को तरजीह देता हूं। यह हज़रत इमाम अबू हनीफा का अपना खुद बनाया हुआ उसूल नहीं है बल्कि उस मशहूर हदीस की इत्तिबा है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु को वसीयत फरमाई थी। इसी तरह हज़रत इमाम अबू हनीफा का यह उसूल है कि अगर मुझे किसी मसअले में कोई हदीस मिल जाए चाहे उसकी सनद में कोई ज़ोफ भी हो तोमैं अपने इजतिहाद व क़यास को छोड़ कर उसको क़बूल करता हूं।

फिक़ह का दार व मदार सहाबिए रसूल हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाते अक़दस पर है और इस फिकह की बुनियाद वह अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं जिनको हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी में ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से सहाबए किराम मसाइले शरइया मालूम करते थे। कूफा शहर में हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ुरान व हदीस की रौशनी में लोगों की रहनुमाई फरमाते थे। हज़रत अलक़मा बिन कैस कूफी और हज़रत असवद बिन यज़ीद कूफी हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के खास शगिर्द हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते थे कि जो कुछ मैंने पढ़ा लिखा और हासिल किया वह सब कुछ अलक़मा को दे दिया, अब मेरी मालूमात अलक़मा से ज़्यादा नहीं है। हज़रत अलक़मा और हज़रत असवद के इंतिक़ाल के बाद

हज़रत इब्राहीम नखई कूफी मसनद नशीन हुए और इल्मे फिक़ह को बहुत कुछ वुसअत दी यहां तक कि उन्हें “फक़ीहुल इराक़” का लक़ब मिला। हज़रत इब्राहीम नखई कूफी के ज़माने में फिक़ह का गैर मुरत्तब ज़खीरा जमा हो गया था जो उनके शागिर्दों ने खास कर हज़रत हम्माद कूफी ने महफ़ूज़ कर रखा था। हज़रत हम्माद कूफी के इस ज़खीरे को इमाम अबू हनीफा कूफी ने अपने शागिर्दों खास कर इमाम युसूफ, इमाम मोहम्मद और इमाम ज़ुफर को बहुत मुनज़्ज़म शकल में पेश कर दिया जो उन्होंने बाक़ायदा किताबों में मुरत्तब कर दिया, यह किताबें आज भी मौजूद हैं। इस तरह इमाम अबू हनीफा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद के दो वास्तों से हक़ीक़ी वारिस बने और इमाम अबू हनीफा के ज़रिये हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने क़ुरान व सुन्नत की रौशनी में जो समझा था वह उम्मते मुस्लिमा को पहुंच गया। गरज़ ये कि फिक़ह हनफी की तदवीन उस दौर का कारनामा है जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैरुल क़ुरून क़रार दिया और अहादीसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल हिफाज़त के साथ उसी ज़माने में किताबी शकल में मुरत्तब की गईं।

(वज़ाहत) इन दिनों बाज़ हज़रात फिक़ह का ही इंकार करना शुरू कर देते हैं हालांकि क़ुरान व हदीस को समझ कर पढ़ना और इससे मसाइले शरइया का इस्तिंबात करना फिक़ह है। नीज़ क़ुरान व हदीस में बहुत सी जगह फिक़ह का ज़िक्र भी वज़ाहत के साथ मौजूद हैं। मशहूर हदीस की किताब (बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसई, इब्ने माजा, तबरानी, बैहक़ी, मुसनद अहमद, मुसनद हिब्बान, मुसनद अहमद बिन हमबल वगैरह) की तालीफ से पहले ही इमाम

अबू हनीफा के शागिर्दों ने फिक़ह हनफी को किताबों में मुरत्तब कर दिया था। अगर वाकई फिक़ह क़ाबिले रद है तो मजकूरा हदीस की किताबों के मुसन्निफों ने अपनी किताब में फिक़ह की तरदीद में कोई बाब क्यों नहीं बनाया? या कोई दूसरी मुस्तक़िल किताब फिक़ह की तरदीद में क्यों तसनीफ नहीं की? गरज़ ये कि यह उन हज़रात के हठधरमी है, वरना क़ुरान व हदीस को समझ कर मसाइल का इस्तिंबात करना ही फिक़ह कहलाता है जिसे जमहूर मुहद्दिसीन व मुफस्सेरीन व उलमाए उम्मत ने तसलीम किया है।

(नुक्ता) फिक़ह हनफी का यह खुसूसी इमतियाज़ है कि साबिक़ा हुकुमतों (खास कर अब्बासिया व उसमानिया हुकूमत) का 80 फीसद क़ानूने अदालत व फौजदारी फिक़ह हनफी रहा है और आज भी बेशतर मुस्लिम मुमालिक का क़ानूने अदालत फिक़ह हनफी पर क़ायम है। यह क़वानीन क़ुरान व हदीस की रौशनी में बनाए गए हैं।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की किताबें

हज़रत इमाम अबू हनीफा ने दौराने दर्स जो अहादीस बयान की हैं उन्हे शागिर्दों ने "हद्दसना" और "अखबरना" वगैरह अल्फाज़ के साथ जमा कर दिया। इमाम अबू हनीफा के दरसी इफादात का नाम "किताबुल आसार" है जो दूसरी सदी हिजरी में मुरत्तब हुई उस ज़माने तक किताबों की तालीफ बहुत ज़्यादा आम नहीं थी। "किताबुल आसार" उस दौर की पहली किताब है जिसने बाद के आने वाले मुहद्दिसीन के लिए तरतीब व तबवीब के राहनुमा उसूल फराहम किए। अल्लामा शिबली नोमानी ने "किताबुल आसार" के बहुत से नुस्खों की निशान दही की है लेकिन आम शोहरत चार नुस्खों को

हासिल है। इन नुस्खों में से इमाम मोहम्मद की रिवायत करदा किताब को सबसे ज़्यादा शोहरत व मक़बूलियत हासिल हुई।
"किताबुल आसार" बरिवायत इमाम मोहम्मद
"किताबुल आसार" बरिवायत क़ाज़ी अबू युसूफ
"किताबुल आसार" बरिवायत इमाम ज़ुफर
"किताबुल आसार" बरिवायत इमाम हसन बिन ज़ियाद

मसानीदे इमाम अबू हनीफा उलमाए किराम ने हज़रत इमाम अबू हनीफा की पंद्रह मसानीद शुमार की हैं जिसमें अइम्मए दीन और हुफ्फाज़े हदीस ने आपकी रिवायात को जमा करके हमेशा के लिए महफूज़ कर दिया, उनमें से मुसनद इमाम आज़म इल्मी दुनिया में मशहूर है जिसकी बहुत सी शुरूहात भी लिखी गई हैं। इस सिलसिले में सबसे बड़ा काम मुल्के शाम के इमाम अबुल मुवायद ख्वारज़मी (वफात 665 हिजरी) ने किया है जिन्होंने तमाम मसानीद को बड़ी ज़खीम किताब जामेउल मसानीद के नाम से जमा किया है।

हज़रत इमाम अबू हनीफा के मशहूर शगिर्द इमाम मोहम्मद की मशहूर किताबें भी फिक़ह हनफी के अहम माखज़ हैं।
अलमबसूत, अलजामेउस सगीर, अलजामेउस कबीर, अज ज़ियादात, अस सियरुस सगीर, अस सियरुल कबीर।

हज़रत इमाम अबू हनीफा का तक़वा

किताब व सुन्नत की तालीम और फिक़ह की तदवीन के साथ इमाम साहब ने ज़ोहद व तक़वा और इबादत में पूरी ज़िन्दगी बसर की। रात का बेशतर हिस्सा अल्लाह तआला के सामने रोने, नफल नमाज़ पढ़ने और तिलावते क़ुरान में गुज़ारते थे। इमाम साहब ने इल्मे दीन

की खिदमत को ज़रियए मआश नहीं बनाया बल्कि मआश के लिए रेशम बनाने और रेशमी कपड़े तैयार करने का बड़ा कारखाना था जो सहाबिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर बिन हुरैस रज़ियल्लाहु अन्हु के घर में चलता था। इमाम अबू हनीफा का तअल्लुक़ खुशहाल घराने से था, इस लिए लोगों की खास तौर से अपने शागिर्दों की बहुत मदद किया करते थे। आपने 55 हज अदा किए।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की शान में बाज़ उलमाए उम्मत के अक़वाल

इमाम अली बिन सालेह (वफात 151 हिजरी) ने इमाम अबू हनीफा की वफात पर फरमाया "इराक़ का मुफ्ती और फक़ीह गुजर गया।" (मनाक़िबे ज़हबी पेज 18)

इमाम मिसअर बिन किद्दाम (वफात 153 हिजरी) फरमाते थे कि "कूफा के दो शख्सों के सिवा किसी और पर रश्क नहीं आता। इमाम अबू हनीफा और उनका फिक़ह, दूसरे शैख हसन बिन सालेह और उनका ज़ुहद व क़नाअत।" (तारीखे बगदाद जिल्द 14 पेज 328)

मुल्के शाम के फक़ीह व मुहद्दिस इमाम औज़ाई (वफात 157 हिजरी) फरमाते थे "इमाम अबू हनीफा पेचीदा मसाइल को सब अहले इल्म से ज़्यादा जानने वाले थे।" (मनाक़िब कुरदी पेज 90)

इमाम दाऊद ताई (वफात 160 हिजरी) फरमाते थे कि "इमाम अबू हनीफा के पास वह इल्म था जिसको अहले ईमान के दिल क़बूल करते हैं।" (अलखैरातुल हिसान पेज 32)

इमाम सुफयान सौरी (वफात 167 हिजरी) के पास एक शख्स इमाम अबू हनीफा से मुलाक़ात करके आया। इमाम सुफयान सौरी ने फरमाया तुम रूए ज़मीन के सबसे बड़े फक़ीह के पास से आ रहे हो। (अलखैरातुल हिसान पेज 32)

इमाम मालिक बिन अनस (वफात 179 हिजरी) फरमाते हैं कि "मैंने अबू हनीफा जैसा इंसान नहीं देखा।" (अलखैरातुल हिसान पेज 28)

इमाम वकी बिन जर्राह (वफात 195 हिजरी) फरमाते हैं "इमाम अबू हनीफा से बड़ा फक़ीह और किसी को नहीं देखा।"

इमाम यहया बिन मईन (वफात 233 हिजरी) इमाम अबू हनीफा के क़ौल पर फतवा दिया करते थे और उनकी अहादीस के हाफिज़ भी थे। उन्होंने इमाम अबू हनीफा की बहुत सारी अहादीस सुनी हैं। (जामे बयानुल उलूम, अल्लामा इब्ने बर जिल्द 2 पेज149)

इमाम सुफयान बिन उयैना (वफात 198 हिजरी) फरमाते थे कि "मेरी आंखों ने अबू हनीफा जैसा इंसान नहीं देखा। दो चीजों के बारे में ख्याल था कि वह शहर कूफा से बाहर न जाएगी मगर वह ज़मीन के आखिरी किनारों तक पहुंच गईं। एक इमाम हमज़ा की क़िरात और दूसरी अबू हनीफा का फिक़ह।" (तारीखे बगदाद जिल्द 13 पेज 347)

इमाम शाफई (वफात 204 हिजरी) फरमाते हैं कि "हम सब इल्मे फिक़ह में इमाम अबू हनीफा के मोहताज हैं, जो शख्स इल्मे फिक़ह में महारत हासिल करना चाहे तो वह इमाम अबू हनीफा का मोहताज होगा।" (तारीखे बगदादी जिल्द 23 पेज 161)

इमाम बुखारी के उस्ताद इमाम मक्की बिन इब्राहीम फरमाते हैं कि "इमाम अबू हनीफा परहेज़गार, आलमे आखिरत के रागिब और अपने

मुआसरीन में सबसे बड़े हाफिज़े हदीस थे।" (मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफा शैख मौफिक़ बिन अहमद मक्की)

इमाम मौफिक़ बिन अहमद मक्की इमाम बकर बिन मोहम्मद जरंजरी (वफात 152 हिजरी) के हवाले से तहरीर करते हैं कि इमाम अबू हनीफा ने किताबुल आसार का इंतिखाब चालीस हज़ार अहादीस से किया है। (मनाक़िब इमाम अबी हनीफा)

हज़रत इमाम अबू हनीफा के उलूम का नफा

हज़रत इमाम अबू हनीफा के इंतिकाल के बाद आपके शागिर्दों ने हज़रत इमाम अबू हनीफा के क़ुरान व हदीस व फिकह के दुरूस को किताबी शकल दे कर उनके इल्म के नफा को बहुत आम कर दिया है, खास कर जब आपके शगिर्द क़ाज़ी अबू युसूफ अब्बासी हुकूमत में क़ाज़ीयुल कुज़ात के उहदे पर फायज़ हुए तो उन्होंने क़ुरान व हदीस की रौशनी में इमाम अूब हनीफा के फैसलों से हुकुमती सतह पर अवाम को मुतआरफ कराया, चुनांचे चंद ही सालों में फिक़ह हनफी दुनिया के कोने कोने में रायज हो गया और उसके बाद यह सिलसिला बराबर जारी रहा हत्ताकि अब्बासी व उसमानी हुकूमत में मज़हबे अबी हनीफा को सरकारी हैसियत दे दी गई चुनांचे आज 1200 साल गुज़र जाने के बाद भी तक़रीबन 75 फीसद उम्मते मुस्लिमा इसपर अमल पैरा है और हज़ार साल से उम्मते मुस्लिमा की अक्सरियत इमाम अबू हनीफा की क़ुरान व हदीस की तफसीर व तशरीह और वज़ाहत व बयान पर ही अमल करती चली आ रही है। हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, बंगलादेश और अफगानिस्तान के मुसलमानों की बड़ी अक्सरियत जो दुनिया में मुस्लिम आबादी का 55 फीसद से

ज़्यादा है, इसी तरह तुर्की और रूस से अलग होने वाले मुमालिक नीज़ अरब मुमालिक की एक जमाअत क़ुरान व हदीस की रौशनी में इमाम अबू हनीफा के ही फैसलों पर अमल पैरा है।

मसादिर व मराजे

हज़रत इमाम अबू हनीफा की शख्सियत पर जितना कुछ मुख्तलिफ ज़बानों खास कर अरबी ज़बान में लिखा गया है वह उतना किसी दूसरे मुहद्दिस या फक़ीह या आलिम पर नहीं लिखा गया। यह इमाम अबू हनीफा की इल्मी व अमली खिदमात के क़बूल होने की बज़ाहिर अलामत है। हज़रत इमाम अबू हनीफा की शख्सियत के मुख्तलिफ पहलुओं पर जो किताबें लिखी गई हैं उनमें से कुछ के नाम हस्बे ज़ैल हैं। शैख जलालुद्दीन सुयूती की किताब तबयीज़ुस सहीफा फी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफा" से खुसूसी इस्तिफादा करके इस मज़मून को लिखा है। अल्लाह तआला इन तमाम मुसन्निफों को अजरे अज़ीम अता फरमाए, आमीन।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की सवानेह हयात से मुतअल्लिक़ बाज़ अरबी किताबें

मनाक़िबुल इमाम आज़म - शैख मुल्ला अली क़ारी (वफात 1014 हिजरी)

तरजुमतुल इमाम आज़म अबी हनीफा अन नोमान बिन साबित- इमाम खतीब बगदादी (वफात 392 हिजरी)

तबयीज़ुस सहीफा फी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफा- अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती (वफात 911 हिजरी)

तुहफतुस सुलतान फी मनाक़िबि नोमान- शैख क़ाज़ी मोहम्मद बिन हसन बिन कास अबुल क़ासिम (वफात 324 हिजरी)
उक़ूदुल मरजान फी मनाक़िबि अबी हनीफा नोमान- शैख अबू जाफर अहमद बिन मोहम्मद मिस्री तहावी (वफात 321 हिजरी)
उक़ूदुल जिमान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान- शैख मोहम्मद बिन युसूफ सालिही (वफात 943 हिजरी)
उक़ूदुल जिमान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबू हनीफा नोमान- मौलवी मोहम्मद मुल्ला अब्दुल क़ादिर अफगानी।
अखबार अबी हनीफा व असहाबिहि - शैख क़ाज़ी अबी अब्दुल्लाह हुसैन बिन अली अस सैमरी (वफात 436 हिजरी)
फज़ाइल अबी हनीफा व अखबारूहु व मनाक़िबुहु- शैख अबुल क़ासिम अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद (वफात 330 हिजरी)
शक़ाएक़ुन नोमान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबी हनीफतुन नोमान- शैख जारुल्लाह अबुल क़ासिम ज़मख्शरी(वफात 538 हिजरी)
अलखैरातुल हिसान फी मनाक़िबिल इमाम आज़म अबी हनीफा नोमान- शैख मुफ्ती अल हिजाज़ शैख शहाबुद्दीन अहमद बिन हजर मक्की (वफात 973 हिजरी)
किताबु मनाज़िलिल अइम्मा अल अरबआ- इमाम अबू ज़करिया यहया बिन इब्राहीम (वफात 550 हिजरी)
मनाक़िबुल इमाम अबी हनीफा व साहिबैहि अबी युसूफ व मोहम्मद बिन अलहसन- इमाम हाफिज़ अबी अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन अहमद उसमान ज़हबी (वफात 748 हिजरी)

किताबु मकानतिल इमाम अबी हनीफा फी इल्मिल हदीस- शैख मोहम्मद अब्दुर रशीद नोमानी अलहिन्दी, तहक़ीक़ शैख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दह

अबू हनीफा नोमान व आराउहुल कलामिया- शैख शमसुद्दीन मोहम्मद अब्दुल लतीफ मिस्री।

अबू हनीफा नोमान (इमामुल अइम्मा अलफुक़हा)- शैख वहबी सुलैमान गावजी।

तानीबुल खतीब अला मा साक़हू फी तरजुमति अबी हनीफा मिनल अकाज़ीब- शैख मोहम्मद ज़ाहिद बिन हसन अल कौसरी।

अबू हनीफा, हयातुहू व असरुहू आराउहू व फिकहुहू- शैख मोहम्मद अबू ज़ोहरा।

मनाक़िबुल इमाम आज़म अबी हनीफा (पहला अरैर दूसरा हिस्सा)- मौफिक बिन अहमद मक्की, मोहम्मद बिन शहाब इबनुल बज़्ज़रार कुर्दी।

अइम्मतुल फिक़हिल इस्लामी अबू हनीफा, शाफई, मालिक, इब्ने हमबल- शैख नूह बिन मुस्तफा रूमी हनफी।

मनाक़िबुल इमाम आज़म अबी हनीफा- शैख मौफिक़ बिन अहमद अलख्वारज़मी।

अल जवाहिरुल मुज़ीअह फी तराजिमिल हनफिया- शैख अब्दुल क़ादिर कुरशी।

हयाते अबी हनीफा- शैख सैयद अफीफी।

तुहफतुल इखवान फी मनाक़िबि अबी हनीफा- अल्लामा अहमद अब्दुल बारी आमूहुल हदीदी।

अत्तालिकाति हिसान अला तुहफतिल इख़वान फी मनाक़िब अबी हनीफा- अल्लामा मोहम्मद अहमद मोहम्मद आमूह।

उक़ूदुल जवाहिरिल मुनीफा फी अदिल्लति मज़हबिल इमाम अबी हनीफा- अल्लामा मुहद्दिस सैयद मोहम्मत मुरतज़ा अज़ ज़ुबैदी हुसैनी हनफी (वफात 1205 हिजरी)

हज़रत इमाम अबू हनीफा की सवानेह हयात से मुतअल्लिक़ बाज़ उर्दू किताबें

सीरतुन नोमान- अल्लामा शिबली नोमानी।

सीरते अइम्मा अरबआ- क़ाज़ी अतहर मुबारकपुरी।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की सियासी ज़िन्दगी- मौलाना मनाज़िर अहसन गीलानी।

मक़ामे अबू हनीफा- मौलाना सरफराज़ सफदर खान।

इमाम आज़म और इल्मे हदीस- मौलाना मोहम्मद अली सिद्दीकी कांधलवी।

इमाम आज़म अबू हनीफा: हालात व कमालात, मलफ़ूज़ात- डाक्टर मौलाना खलील अहद थानवी (तबयीज़ुस सहीफा फी मनाक़िबिल इमाम अबी हनीफा का तरजुमा)

तक़लीदे अइम्मा और मक़ामे इमाम अबू हनीफा- मौलाना मोहम्मद इसमाईल संभली (राक़िमुल हुरूफ के हक़ीक़ी दादा मोहतरम)

इमाम आज़म अबू हनीफा, हयात व कारनामे- मौलाना मोहम्मद अब्दुर रहमान मज़ाहिरी।

हज़रत इमाम अबू हनीफा पर इरजा की तोहमत - मौलाना नेमतुल्लाह आज़मी साहब।

इल्मे हदीस में इमाम अबू हनीफा का मक़ाम व मरतबा - मौलाना हबीबुर रहमान आज़मी साहब।
इमाम आज़म अबू हनीफा और मोतरेज़ीन - मौलाना मुफ्ती सैयद मेहदी हसन शाहजहांपूरी।
फक़ाहत इमाम आज़म अबू हनीफा- मौलाना खुदा बख्श साहब रब्बानी।
मलफूज़ाते इमाम अबू हनीफा- मुफ्ती मोहम्मद अशरफ उसमानी।
हदाइक़ुल हनफिया (इमाम अबू हनीफा से 1300 हिजरी तक दुनिया भर के एक हज़ार से ज़ायद हनफी उलमा व फुक़हा का ज़िक्र)- मौलवी फकीर अहमद जेहलमी।
हज़रत इमाम अबू हनीफा के 100 क़िस्से- मौलाना मोहम्मद ओवैस सरवर।
इमाम आज़म अबू हनीफा के हैरतअंगेज़ वाक़्यात- मौलाना अब्दुल क़य्यूम हक़्क़ानी।
इमाम अबू हनीफा की ताबेइयत और सहाबा से उनकी रिवायत- मौलाना अब्दुश शहीद नोमानी।
इमाम आज़म अबू हनीफा शहीदे अहले बैत- मुफ्ती अबुल हसन शरीफुल्लाह अलकौसरी।
अत्तरीकुल अस्लम उर्दू शरह मुसनदुल इमाम आज़म- मौलाना मोहम्मद ज़फर इक़बाल साहब।
इमाम अबू हनीफा की मुहद्दिसाना हैसियत- मौलाना सैयद नसीब अली शाह अलहाशमी, मौलाना मुफ्ती नेमत हक़्क़ानी।
इमाम अबू हनीफा का आदिलाना दिफा (अल्लामा कौसरी की किताब तानीबुल खतीब का उर्दू तरजुमा)- हाफिज़ अब्दुल क़ुद्दूस खान।

हयात हज़रत इमाम अबू हनीफा (शैख अबू ज़ोहरा मिस्री की अरबी किताब का तरजुमा)- प्रोफेसर गुलाम अहमद हरीरी।

हज़रत इमाम अबू हनीफा की सवानेह हयात से मुतअल्लिक़ अंग्रेजी ज़बान में भी बहुत सी किताबें शाये हुई हैं, लकिन अल्लामा शिबली नोमानी की कितबा Imam Abu Hanifah: Life and Works का मुतालआ इंतिहाई मुफीद है।

एलाउस सुनन- असरे हाज़िर के जय्यिद आलिम व मुहद्दिस शैख ज़फर अहमद उसमानी थानवी ने हज़रत इमाम अबू हनीफा और उनके शागिर्दों से मंक़ूल तमाम मसाइले फिक़्हिय्या को 22 जिल्दों में अहादीसे नबविया से मुदल्लल किया है। मुल्के शाम के मशहूर हनफी आलिम शैख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दह (वफात 1417 हिजरी) ने इस किताब की तक़रीज़ तहरीर फरमाई है। अरबी ज़बान में तहरीर कर्दा इस अज़ीम किताब की 22 मोटी जिल्दें हैं जो अरब व अजम में आसानी से हासिल की जा सकती हैं।

अल्लाह तआला इस खिदमत को क़बूल फरमा कर अजरे अज़ीम अता फरमाए आमीन।

लेखक का परिचय

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी का तअल्लुक़ सम्भल (यूपी) के इल्मी घराने से है, उनके दादा मशहूर मुहद्दिस, मुक़र्रिर और स्वतंत्रता सेनानी मौलाना मोहम्मद इसमाईल सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में तक़रीबन 17 साल बुखारी शरीफ का दर्स दिया, जबकि उनके नाना मुफ्ती मुशर्रफ हुसैन सम्भली (रह) थे जिन्होंने मुख्तलिफ मदरसों में इफता की ज़िम्मेदारी निभाने के साथ साथ बुखारी व हदीस की दूसरी किताबें भी पढ़ाईं।

डाक्टर नजीब क़ासमी ने इब्तिदाई तालीम सम्भल में ही हासिलकी, चुनांचे मिडिल स्कूल पास करने के बाद अरबी तालीम का आगाज़ किया। इसी बीच 1986 में यूपी बोर्ड से हाई स्कूल भी पास किया। 1989 में दारुल उलूम देवबन्द में दाखिला लिया। दारुल उलूम देवबन्द के क़याम के दौरान यूपी बोर्ड से इन्टरमीडिएट का इमतिहान पास किया। 1994 में दारुल उलूम देवबन्द से फरागत हासिल की। दारुल उलूम देवबन्द से फरागत के बाद जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली से B.A (Arabic) और तरजुमे के दो कोर्स किए, उसके बाद दिल्ली यूनिवार्सिटी से M.A. (Arabic) किया।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया, दिल्ली के अरबी विभाग की जानिब से मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी को "अल जवानिबुल अदबिया वल बलागिया वल जमालिया फिल हदीसिन नबवी" यानी हदीस के अदबी व बलागी व जमाली पहलू पर दिसम्बर 2014 में डाक्टरेट की डिग्री से सम्मानित किया गया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने प्रोफेसर डाक्टर शफीक अहमद खां नदवी भूतपूर्व सदर अरबी विभाग और प्रोफेसर रफीउल इमाद फायनान की अंतर्गत में

अरबी ज़बान में 480 पृष्ठों पर मुशतमिल अपना तहक़ीक़ी मक़ाला पेश किया। डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी ने बहुत सी किताबें उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी जबानों में तहरीर की है। 1999 से रियाज़(सऊदी अरब) में बरसरे रोज़गार हैं। कई सालों से रियाज़ शहर में हज तरबियती कैम्प भी मुनअक़िद कर रहे हैं। उनके मज़ामीन उर्दू अख़बारों में प्रकाशित होते रहते हैं।

मौलाना डाक्टर मोहम्मद नजीब क़ासमी की वेब साइट (www.najeebqasmi.com) को काफी मक़बूलियत हासिल हुई है जिसकी मोबाइल ऐप (Deen-e-Islam) तीन जबानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है जिसमें मुख्तलिफ इस्लामी मौज़ूआत पर मज़ामीन के साथ उनकी किताबें और बयानात हैं।

हज व उमरह से मुतअल्लिक़ खुसूसी ऐप (Hajj-e-Mabroor) भी तीन ज़बानों (उर्दू, हिन्दी और अंग्रेजी) में है, जिन से सफर के दौरान हत्ताकि मक्का, मिना, मुज़दल्फा और अरफात में भी इस्तिफादा किया जा सकता है।

हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मशहूर उलमा, दीनी इदारों और मुख्तलिफ मदरसों ने दोनों Apps (दुन्या की पहली मोबाइल ऐपस) की ताईद में खुसूत तहरीर फरमा कर अवाम व खवास से दोनों Apps से फायदा उठाने की अपील की है।

http://www.najeebqasmi.com/
najeebqasmi@gmail.com
MNajeeb Qasmi - Facebook
Najeeb Qasmi - YouTube
Whatsapp: 00966508237446

First Islamic Mobile Apps on the world in 3 languages:
Deen-e-Islam & Hajj-e-Mabroor

AUTHOR'S BOOKS

IN URDU LANGUAGE:

حج مبرور، مختصر حج مبرور، حی علی الصلاۃ، عمرہ کا طریقہ، تحفۂ رمضان، معلومات قرآن، اصلاحی مضامین جلد ۱،
اصلاحی مضامین جلد ۲، قرآن وحدیث: شریعت کے دو اہم ماخذ، سیرت النبی ﷺ کے چند پہلو،
زکوٰۃ وصدقات کے مسائل، فیملی مسائل، حقوق انسان اور معاملات، تاریخ کی چند اہم شخصیات، علم وذکر

IN ENGLISH LANGUAGE:

Quran & Hadith - Main Sources of Islamic Ideology
Diverse Aspects of Seerat-un-Nabi
Come to Prayer, Come to Success
Ramadan - A Gift from the Creator
Guidance Regarding Zakat & Sadaqaat
A Concise Hajj Guide
Hajj & Umrah Guide
How to perform Umrah?
Family Affairs in the Light of Quran & Hadith
Rights of People & their Dealings
Important Persons & Places in the History
An Anthology of Reformative Essays
Knowledge and Remembrance

IN HINDI LANGUAGE:

क़ुरान और हदीस - इस्लामी आइडयिोलॉजी के मैन सोर्स
सीरतुन नबी के मुख़्तलफि पहलू
नमाज़ के लिए आओ, सफलता के लिए आओ
रमज़ान - अल्लाह का एक उपहार
ज़कात और सदक़ात के बारे में गाइडेंस
हज और उमराह गाइड
मुख़्तसर हज्जे मबरूर
उमरह का तरीका
पारविारकि मामले क़ुरान और हदीस की रोशनी में
लोगों के अधकिार और उनके मामलात
महत्वपूर्ण वयक्ति और स्थान
सुधारात्मक निबंध का एक संकलन
इल्म और जिक्र

First Islamic Mobile Apps of the world in 3 languages
(Urdu, Eng.& Hindi) in iPhone & Android by Dr. Mohammad Najeeb Qasmi

DEEN-E-ISLAM HAJJ-E-MABROOR